अंक 2
संख्या 4

शुक्रवार
24 जनवरी
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. उपाध्यक्ष का चुनाव 1
2. एडवाइजरी कमेटी का चुनाव 2
3. बजट (अनुमान पत्र) 30

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, 24 जनवरी, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के 11 बजे अध्यक्ष माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुई।

***अध्यक्ष:** अब हम कार्यवाही शुरू करेंगे। परसों जब कार्यवाही समाप्त हुई थी तब हम समिति के रूप में बजट (आय-व्यय लेखा) पर बहस कर रहे थे। कुछ ऐसे संशोधन हैं, जिनको हाउस के समक्ष रखना ही है। मैं सुझाव पेश करता हूं कि हम पहले उन प्रस्तावों को लें और उन्हें समाप्त करने के बाद अगर हमारे पास समय बचे तो फिर समिति के रूप में बैठकर बजट पर बहस करेंगे।

मुझे आशा है कि सदस्यों को मेरी बात स्वीकार है।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष जी, जब हमने पिछली बैठक स्थगित की थी तो हम समिति के रूप में थे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम विधिवत् यह प्रस्ताव करें कि सभा अब असेम्बली के खुले पूर्ण अधिवेशन में बैठ रही है।

***अध्यक्ष:** मुझे आशा है कि सभा इस सुझाव को स्वीकार करती है।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** चूंकि सभा ने सुझाव स्वीकार कर लिया है इसलिए अब हम पूर्ण खुले अधिवेशन में बैठते हैं और प्रस्ताव लेते हैं।

अब मैं श्री सत्यनारायण सिनहा से कहता हूं कि वह अपने नाम का प्रस्ताव पेश करें।

उपाध्यक्ष का चुनाव

खुली कार्यवाही:

***श्री सत्यनारायण सिन्हा:** श्रीमान्, अध्यक्षजी, मैं अपने नाम का नीचे लिखा प्रस्ताव पेश करता हूं:

निश्चय हुआ कि यह असेम्बली विधान-परिषद् के नियम 12 उपनियम (1) के अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव करने की कार्यवाही करे।

महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सभा के उपाध्यक्षों के बारे में कार्यवाही के वे नियम पढ़ूंगा जो गत बैठक में पास किये गए थे।

असेम्बली के पांच उपाध्यक्ष होंगे। पांच उपाध्यक्षों में दो का चुनाव असेम्बली के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के निर्दिष्ट ढंग पर होगा।

विभागों द्वारा निर्वाचित सभापति असेम्बली के पद की स्थिति से उपाध्यक्ष होंगे।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री सत्यनारायण सिन्हा]

अब नियम 16 के अनुसार असेम्बली के सभापतित्व के लिए यदि कोई उपाध्यक्ष न हो तो, असेम्बली को अधिकार है कि वह इस कार्य के लिए अपने किसी भी सदस्य को चुन ले। इसलिए अगर आप थोड़े समय के लिए अनुपस्थित भी हो जायेंगे तो ऐसे अवसरों पर असेम्बली अपने सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष चुनकर अपनी कार्यवाही जारी रखेगी। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि हम इस अधिवेशन के दौरान में एक उपाध्यक्ष चुन लें। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं और आशा करता हूं कि हाउस इसे स्वीकार करेगा।

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त** (संयुक्तप्रदेश : जनरल): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव पेश हुआ और समर्थन प्राप्त कर चुका है। मैं नहीं समझता कि उस पर किसी बहस की जरूरत है।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** आज 5 बजे शाम तक सेक्रेटरी से नामजदगी प्राप्त हो सकेगी। अगर चुनाव जरूरी हुआ तो वह कल दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच में सहायक मन्त्री (Under Secretary) के दफ्तर रूम नं. 24 में होगा, जो नीचे की मंजिल पर है।

एडवाइजरी कमेटी का चुनाव

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त:** श्रीमान् जी, मैं अपने नाम का प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा चाहता हूं जो इस प्रकार है:

''यह असेम्बली निश्चय करती है कि मन्त्रिमंडल मिशन के 16 मई 1946 ई. की घोषणा के पैरा 20 के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था की एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) बना दी जाये:

1. (क) सलाहकार समिति में 68 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे और उसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जो असेम्बली के सदस्य नहीं हैं।

   (ख) (अ) आरम्भ में इसमें 52 सदस्य होंगे जिनका चुनाव असेम्बली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एक परिवर्तनीय मत द्वारा होगा।

   (आ) असेम्बली अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित ढंग पर सात सदस्य तक चुन सकती है।

   (ग) अध्यक्ष किसी समय या कई अवसरों को मिलाकर कमेटी के लिए 9 सदस्यों तक को नामजद कर सकते हैं।

2. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) ऐसी उपसमितियों की नियुक्ति करेगी जो पश्चिमोत्तर प्रदेश के कबाइली क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी प्रदेश के कबाइली क्षेत्र के लिए शासन की योजना तैयार करेगी और उन क्षेत्रों के लिए भी जो कबायली क्षेत्र जबकि क्षेत्र पृथक् और विशेष रूप में पृथक् कहे जाते हैं। इन समितियों में से प्रत्येक उस समय के लिए किसी खास कबाइली क्षेत्र से जो विचाराधीन हैं अधिक से अधिक दो सदस्य चुन (coopt) कर सकेगी, जिससे उस क्षेत्र के बारे में उनसे विशेष सहायता प्राप्त हो सके।

3. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) समय-समय पर ऐसी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझेगी।
4. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) आखिरी रिपोर्ट यूनियन विधान-परिषद् को तीन मास के अन्दर भेजेगी और समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकेगी।
5. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) में जो इत्तफाकिया जगहें खाली होंगी उनके खाली होते ही जहां तक जल्द हो सकेगा उन पर उसी ढंग से नियुक्ति कर दी जायेगी जिस प्रकार आरम्भ में हुई थी।
6. अध्यक्ष, कमेटी की कार्यवाही के ढंग के बारे में, स्थायी आज्ञा प्रदान कर सकते हैं।''

महोदय, यह प्रस्ताव न केवल 16 मई के वक्तव्य में व्याख्या की गई योजना के अनुसार है बल्कि इसने योजना की शब्दावली भी ग्रहण कर ली है। इस योजना के अनुसार एक समिति अल्पसंख्यकों के अधिकार, नागरिक अधिकार और कबीले वाले पृथक् और विशेष रूप में पृथक् क्षेत्रों सम्बन्धी सवालों को हल करेगी। यदि यह कार्य हम पर डाला जाता तो हम इन सभी विषयों की अलग-अलग समितियां नियुक्त करते और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश तथा उत्तरपूर्व सीमान्त के लिए दो समितियां वहां की समस्यायें सुलझाने के लिए नियुक्त कर देने, पर चूंकि योजना में एक ही समिति का विचार किया गया था, इसलिए हमने उस प्रस्ताव और पथ-प्रदर्शन के विरुद्ध जाना ठीक नहीं समझा। इसके फलस्वरूप कमेटी उससे बड़ी हो गई है जितनी बड़ी वह उस अवस्था में हो सकती थी जब कि प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग समिति बनाई जाती। यह कमेटी एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) कही जायेगी और यह वाक्यांश 4 के पैराग्राफ 19 के अनुसार नियुक्त हो रही है, जो इस प्रकार है:

> ''एक आरम्भिक सभा की जायेगी जिसमें कार्यवाही की सामान्य व्यवस्था का निर्णय होगा। अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों का चुनाव होगा और नागरिकों के अधिकार अल्पसंख्यकों और कबाइली तथा पृथक् क्षेत्रों के अधिकारों के लिए एक सलाहकार समिति बनेगी।

इस प्रकार यहां जिस जाब्ते का निर्देश किया गया है, उसके अनुसार हम साधारण अवस्था में अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इस विषय को हाथ में लेने वाले थे। पर हमने गैरहाजिर सदस्यों का ख्याल रखते हुये ऐसा नहीं किया। हम मुस्लिम लीग के सदस्यों के आने के लिए सुविधायें पैदा करना चाहते थे और असेम्बली की कार्यवाही में उनका सहयोग चाहते थे। यह अफसोस की बात है कि अभी तक इस दिशा में हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुये हैं। हमने न केवल इस विषय पर विचार करना ही स्थगित कर दिया जो इस वक्तव्य की योजना के अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक था बल्कि कांग्रेस और भी आगे बढ़ी और उसने सम्राट्-सरकार तथा मुस्लिम लीग की उन व्याख्याओं को स्वीकार कर लिया जो उन्होंने वक्तव्य के कुछ विरोधाभासी वाक्यांशों के बारे में की थीं। यही नहीं, ब्रिटिश मन्त्रिमंडल ने 6 दिसम्बर की घोषणा के एक बड़े भाग को भी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने 5 जनवरी को स्पष्ट रूप में लीग के प्रान्तीय बंटवारे सम्बन्धी खंड को भी स्वीकार करके उसकी घोषणा कर दी है। इस असेम्बली की बैठक 20 तारीख को हुई थी। बीच में पन्द्रह दिन का समय था। हमने इस विषय का

[मा. पं. गोविन्द बल्लभ पन्त]

विचार स्थगित कर दिया था। मुस्लिम लीग ने न केवल इस सभा में सम्मिलित होने का कोई रस्मी प्रस्ताव नहीं पास किया, बल्कि मुस्लिम लीग के विचारों की जानकारी का दावा करने वालों ने जो बयान दिये उससे उसकी प्रतिकूलता ही दिखाई देती है। इस असेम्बली के अधिकारियों को, मन्त्री या और किसी को मुस्लिम लीग के किसी जिम्मेदारी प्रतिनिधि द्वारा यह इशारा भी नहीं मिला कि जिससे इस असेम्बली की बैठक स्थगित कर दी जाती या इसके आदेश-पत्र में और कार्यवाही सम्मिलित की जाती। ऐसी स्थिति में हम उस कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते जो हमारे लिये निर्धारित, निश्चित और व्यवस्थित है। जिस मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है उसके कारण अगर किसी को परेशानी और असुविधा होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने पृथक् रहना ही पसन्द किया है। मै समझता हूं कि सभी जिम्मेदार और निरपेक्ष व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस तथा इस सभा के माननीय सदस्यों ने जितनी उनसे आशा की जाती थी मुस्लिम लीग के इस असेम्बली में विचार-विमर्श के लिये भाग लेने की सुविधा देने के लिए उससे कहीं अधिक प्रयत्न किये हैं। किन्तु वह अभी तक अपने मूल विरोधी रुख पर डटे हैं और जो महान् और पवित्र कार्य हमें आगे करने हैं उसमें हाथ बटाने के लिये वे असेम्बली की कार्यवही में भाग लेने को तैयार नहीं हैं।

मैं यह सब चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। खासकर समाचार-पत्रों में तथा एक स्थानीय पत्र में निकले हुये कुछ लेखों को दृष्टि में रखते हुये नरम शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के लिये, यह एक समझ में न आने वाली बात है कि इस विषय को और भी आगे के लिए स्थगित किया जा सकता है जो वास्तव में शुरू में ही किया जाना चाहिये था। इस सभा के माननीय सदस्यों ने अनुपस्थित सदस्यों के लिए जिस कोमल भाव से उत्कंठा प्रकट की है, उसकी न केवल कद्र ही नहीं की गई बल्कि उसका गलत अर्थ लगाया गया है। इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है। इस देश के लाखों लोग इस असेम्बली की कार्यवाही की परीक्षा बड़ी सूक्ष्मता से कर रहे हैं और यह जानने को उत्सुक हैं कि हम अपने ध्येय की ओर कहां तक आगे बढ़े हैं। प्रतिदिन का विलम्ब उन्हें निराश कर रहा है और दूसरी ओर इस बात का प्रबल विरोधी प्रचार किया जा रहा है कि यह असेम्बली तो धुएं के रूप में ही समाप्त होगी इसके सभी प्रयत्न, कार्यवाही और महोद्योग व्यर्थ सिद्ध होंगे और इसका परिणाम कुछ न निकलेगा। ऐसी स्थिति में इस असेम्बली की सफलताओं में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिये कि इस सभा के माननीय सदस्यों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी का भार है। वे इस सभा की कार्यवाही अनिश्चित रूप में नहीं टाल सकते हैं और न वे मनोरथ को इतना टाल सकते हैं कि वह सर्वथा शांत हो जाये। इसलिये मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे।

जैसा कि वे जानते हैं, हमें मौलिक अधिकारों के लिये अल्पसंख्यकों के अधिकार और कबीले वाले तथा पिछड़ी हुई जातियों के क्षेत्रों के शासन के लिये व्यवस्था करना है। इस कमेटी के सामने जो काम है उसका ख्याल रखते हुए प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित कर दी गयी है। हमारा देश बहुत विशाल है और अब तो यहां 40 करोड़ से भी अधिक लोगों की बस्ती हो गयी है। ऐसी स्थिति में कोई इस तरह की कमेटी के सदस्यों की संख्या कितनी ही घटाना चाहे फिर भी वह एक निश्चित संख्या के नीचे नहीं जा सकती। हमने सभी हितों और

सभी प्रकार के लोगों का ख्याल रखा है और फिर भी संख्या इस प्रकार उचित रूप में निश्चित की है कि काम करने में कठिनाई न हो। इस कमेटी में 72 सदस्य रखे गये हैं जबकि शुरू में इसमें 68 सदस्यों की व्यवस्था सोची गयी थी। माननीय सदस्य जानते हैं कि नागरिक अधिकार पर हमें विधान बनाना है। इसके लिये हमें साधारण संस्था (General Body) के प्रतिनिधि चाहिए। मौलिक अधिकार से सभी का सम्बन्ध है और इसके बारे में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का सवाल ही नहीं उठ सकता। वास्तव में लार्ड सभा में भारत-मंत्री ने गत मास जो भाषण दिया था उसमें यह बात निश्चित रूप में कही गयी थी कि नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न समझने वाले सदस्य उसमें होंगे। फिर आपको उन सदस्यों का चुनाव करना है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समझते हों। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में कितने अल्पसंख्यक हैं। हमारी संस्कृति बहुत प्रकार की पूर्णताओं से संयुक्त है और सौभाग्य से हमारे पास ऐसे दल हैं जो एक-दूसरे की पूर्ति और सहायता करके एक पूर्ण वस्तु भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिये हमने इस प्रस्ताव में आरम्भिक कमेटी के लिये 52 सदस्यों की व्यवस्था रखी है, पर संशोधन के अनुसार जिसे श्री मुंशी पेश करेंगे, संख्या 52 नहीं 50 है। इन 50 में से केवल 12 साधारण विभाग के प्रतिनिधि होंगे। अन्य लोग अल्पसंख्यकों तथा कबीले वाले पृथक् क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा:—

बंगाल, पंजाब, सीमाप्रांत, बलूचिस्तान और सिंध के हिंदुओं को	7 प्रतिनिधि
संयुक्तप्रांत, बिहार, मध्यप्रांत, मद्रास, बम्बई, आसाम और उड़ीसा	
इन सात प्रांतों के मुसलमानों को	7 प्रतिनिधि
दलित जाति या तालिकाबद्ध जातिवालों को	7 प्रतिनिधि
सिखों को	6 प्रतिनिधि
हिन्दुस्तानी ईसाइयों को	4 प्रतिनिधि
पारसियों को	3 प्रतिनिधि
एंग्लो इंडियनों को	3 प्रतिनिधि
कबीले वाले और पृथक् क्षेत्रों को	13 प्रतिनिधि

इनके अतिरिक्त 10 नामजदगियां अध्यक्ष जी करेंगे। प्रस्ताव में संख्या अधिक लिखी गयी है। अब जिन लोगों को नामजद किया जायेगा। इनकी संख्यायें, श्री मुंशी द्वारा पेश किये जाने वाले संशोधन के अनुसार, 5 तो कबीले वाले क्षेत्रों के लिये अलग कर दिये जायेंगे, 7 मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों के लिए और शेष 10 अध्यक्ष की व्यवस्था पर छोड़ दिये जायेंगे जिससे वह ऐसे लोगों को नामजद कर सकें जो कमेटी के कार्य में प्रवृत्त हो सकें और जिनके द्वारा ठोस और संतोषजनक फैसले पर पहुंचा जा सके। इस तरह कमेटी का निर्माण हो जायेगा। किसी भी हालत में जो कुछ भी संख्या होगी उससे अल्पसंख्यकों, पृथक् क्षेत्र वालों और कबीले वाले क्षेत्रों के निवासियों की आवाज कमेटी में अधिक होगी। वह अपना चाहा फैसला कर सकेंगे और कोई भी अन्य भाग बहुमत न प्राप्त कर सकेगा। इस तरह यह कमेटी अल्पसंख्यकों और पिछड़े हुए क्षेत्रों का पूर्ण-प्रतिनिधित्व करेगी और हमें आशा है कि ऐसे फैसले पर पहुंचेगी जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो जायेगी और अधिकार पूर्णत: सुरक्षित। इस प्रस्ताव के दूसरे पैराग्राफ

[मा. पं. गोविन्द बल्लभ पन्त]

(वाक्य-समूह) में पश्चिमोत्तर के कबीले वालों तथा उत्तरपूर्व की आदि निवासी जातियों के क्षेत्रों तथा पृथक् एवं विशेष रूप में पृथक् क्षेत्रों के शासन के लिये सब कमेटियां (उपसमितियां) नियुक्त करने की व्यवस्था रखी गयी है। इस काम के लिए छोटी उपसमितियों की नियुक्ति आवश्यक होगी क्योंकि उनमें तो घटनास्थल पर अध्ययन करने वालों की ही जरूरत होगी और जब तक विशेषज्ञों द्वारा निकटतम रूप में सवालों पर विचार न होगा और विशेषज्ञों की राय तथा स्थानीय लोकमत को ज्ञात न कर लिया जायेगा तब तक विशेष क्षेत्रों के लिये सापेक्ष परिणाम प्राप्त न हो सकेंगे। कुछ सब-कमेटियों (उपसमितियों) की नियुक्ति के अतिरिक्त प्रस्ताव उन सब-कमेटियों को अधिकार भी देता है कि वह उस खास क्षेत्र के दो सदस्य और चुन (Coopt कर) ले जिसके प्रश्नों पर उस समय विचार हो रहा हो और यहां तक उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में इस प्रकार के सदस्यों द्वारा चुने गये (Coopted) सज्जनों की आवश्यकता हो।

खंड 4 उस समय की सीमा निर्धारित करता है जिसके अन्दर इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) की अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी जाये। यह काम तीन महीने के अन्दर हो जाना चाहिए। यदि माननीय सदस्य पैरा 20 को देखेंगे तो उन्हें ये शब्द मिलेंगे:

> नागरिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और कबीले वाले क्षेत्रों तथा पृथक् क्षेत्रों के बारे में जो एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) नियुक्त होगी उसमें तत्सम्बन्धी सभी हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, और उनका काम होगा कि वे यूनियन कांस्टीट्यूऐंट असेम्बली (संयुक्त विधान-परिषद्) को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांशों (Clauses) कबीले वाले और पृथक् क्षेत्रों के शासन की योजनाओं की रिपोर्ट में और यह परामर्श दे कि वे अधिकार प्रान्तीय दलीय विभाजन या संयुक्त विधान में से किसमें सम्मिलित किये जायें।

इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) का काम तेजी से चलाने की आवश्यकता है, जिससे उसकी सिफारिश इस सभा को जहां तक हो सके जल्द मिल जाये और समय का दुरुपयोग न हो। इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) की कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रस्तुत प्रस्ताव जब तक सामने न आ जाये तब तक केन्द्रीय संयुक्त असेम्बली (Central Union Assembly) को इस रिपोर्ट पर विचार करना चाहिये जिससे प्रान्तीय या आवश्यकता हुई तो बंटवारे के विधान (Group Constitution) पर विचार करते समय वह उस कार्य को ठीक तौर पर आरम्भ कर सके। इसलिए वह वांछनीय है कि इस कमेटी (समिति) की रिपोर्ट शीघ्र पहुंचे और इसलिए यह व्यवस्था तैयार की गयी है।

मैंने तथ्यात्मक वर्णन और विश्लेषण देने का प्रयत्न किया है और कुछ हद तक विचाराधीन प्रस्ताव की व्यवस्था भी कर दी है। माननीय सदस्यों और अध्यक्ष की अनुमति से मैं कुछ सामान्य बातें भी कहना चाहता हूं। वैधानिक चर्चाओं में अल्पसंख्यक का प्रश्न सब जगह आगे आता है। इस चट्टान पर कितने ही विधान इससे टकराकर नष्ट हो चुके हैं अल्पसंख्यकों सम्बन्धी प्रश्नों के सन्तोषजनक हल पर स्वतन्त्र भारत का स्वास्थ्य, क्रियाशीलता और शक्ति निश्चित है और यह यहाँ हमारी बहस के परिणामस्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। अल्पसंख्यकों का सवाल बहुत बढ़ाया भी नहीं जा सकता। अब तक यह दंगों, पारस्परिक अविश्वास

और भारतीय राष्ट्र के विभिन्न अंगों में भिन्नता बढ़ाने के लिये काम में लाया जाता रहा है। साम्राज्यवाद का विकास ही ऐसे ही झगड़ों के आधार पर होता है, यह ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ाने में ही दिलचस्पी लेती है। अब तक अल्पसंख्यकों को इस तरह उकसाया और प्रभावित किया जाता रहा है जिससे मिलाप और एकता में बाधा पड़ती रही है। पर अब यह जरूरी हो गया है कि एक नया अध्याय शुरू किया जाये और हम सब अपने उत्तरदायित्व को समझें। जब तक अल्पसंख्यकों को पूरा सन्तोष न हो जायेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम शान्ति भी अनवरत रूप से नहीं कायम कर सकते। इसलिये जो कुछ भी किया जा सके वह किया जाना चाहिये। वास्तव में यदि 16 मई का वक्तव्य न भी होता तो भी हम इस प्रकार की कमेटी (समिति) बनाने का प्रस्ताव करते। यदि माननीय सदस्य इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किये गये लक्ष्य मूलक (ओबजेक्टिव रेजोल्यूशन) प्रस्ताव को देखेंगे तो वे इन शब्द को खंड (5) और (6) में देखेंगे:

> जिसमें भारत में सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की, तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों के प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जावेंगे और जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिये पिछड़े हुये व कबायली प्रदेशों के लिये तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिये काफी संरक्षण विधि रहेगी।

इस प्रकार सभा ने सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव की बुनियादी बातों को पहले ही स्वीकार कर लिया है। इस बात से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इन अधिकारों को साररूप में पहले ही से और स्वेच्छापूर्वक इस सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। मैं समझता हूं कि इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) में ऐसे फैसले पर पहुंचने के लिये ऐसी प्रत्येक बात का पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा जो अल्पसंख्यकों को सन्तुष्ट कर सके। माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे और यदि वे नहीं अवगत हैं तो मैं यह बताकर उन्हें कोई गुप्त बात नहीं बता रहा हूं कि इस कमेटी की सारी शक्ति का निर्णय इस सभा में उपस्थित सभी अल्पसंख्यकों की इच्छा के अनुसार किया गया है। यह उनकी पूर्ण स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। हमने सन्तोष और तृप्ति दिलाने के लिये सभी बातों की ओर कम विचार लगाया है। विधान-निर्माण का कार्य क्रियात्मक है और हमें काल्पनिक भूलभुलैयों में गुमराह नहीं हो जाना चाहिये हमें समस्याओं पर यथार्थवाद की दृष्टि से देखना चाहिये और हमें इस बात का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये कि हम जो भी फैसला करते हैं वह न्याय ही नहीं है बल्कि वे लोग भी उसे न्याययुक्त समझते हैं जिस पर यह लागू होना है। हम विश्वास करते हैं कि इस कमेटी में विभिन्न अल्पसंख्यकों की इच्छाओं का ध्यान रखा जायेगा और उसके लिये सन्तोषजनक होंगे।

इस सम्बन्ध में मैं अल्पसंख्यकों को भी हाल के कुछ वर्षों की ऐतिहासिक घटनायें स्मरण दिलाना चाहूंगा। माननीय सदस्य इस बात की अभिज्ञता रखते होंगे कि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद कई राज्य बनाये गये थे खासकर पूर्वीय यूरोप में और अल्पसंख्यकों की रक्षा के कानून भी इन राज्यों के विधानों में जोड़ दिये गये थे। ऐसे राज्यों में चेकोस्लावेकिया, आस्ट्रिया, बलगारिया, पोलैंड आदि के नाम

[मा. पं. गोविन्द बल्लभ पन्त]

लिये जा सकते हैं। उनके विधानों में न केवल ऐसे कानून का समावेश ही किया गया बल्कि संयुक्त और साथी कहे जाने वाले और उस समय बनाये गये नये राज्यों के समझौते के समय सन्धि में इनको गम्भीर प्रतिज्ञा के रूप में उल्लिखित किया गया। इन नव निर्मित राज्यों में, जो अल्पसंख्यक थे उन्हें, इन संयुक्त और साथी राष्ट्रों ने आश्वासन दिये। अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् और राष्ट्र संघ ने घोषणायें प्रकाशित कराईं। पर उन सबका परिणाम क्या हुआ? इन राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यकों पर इतने नृशंस अत्याचार, भीषण दबाव और घोर जुल्म हुए जैसे जितने कि अन्य किन्हीं अल्पसंख्यकों पर न हुये होंगे और उन अल्पसंख्यक जातियों में से कुछ तो अपना अस्तित्व तक खो बैठी और न जाने कहां गायब हो गयीं। अल्पसंख्यकों को अपनी रक्षा के लिये बाहरी शक्ति की ओर नहीं देखना चाहिये। इससे उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। इतिहास से जो पाठ मिला है उसे भुला नहीं देना चाहिए। उनको यह पाठ अपने हृदय और मस्तिष्क में जमा लेना चाहिए कि उन्हें इन लोगों से ही रक्षा प्राप्त हो सकती है जिनके बीच ये रहते हैं तथा पारस्परिक शुभेच्छा, विश्वास, हार्दिक बन्धुत्व और शुभचिन्तन स्थापित करके ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी के हितों की रक्षा हो सकती है। आशा है इतिहास का यह पाठ भुला नहीं दिया जायेगा।

मुझे अल्पसंख्यकों या मौलिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के विवरण का प्रयत्न यहां नहीं करना है। फिर मैं एक ऐसी दूषित मनोवृत्ति का हवाला दिये बिना नहीं रह सकता जो इस देश में कई वर्षों से जोर पकड़ रही है। व्यक्तिगत नागरिक जो राष्ट्र का मेरुदंड है, और सामाजिक जीवन का धुरी और केन्द्र है और जिसकी प्रसन्नता और सन्तोष समाज के सभी पुर्जों का ध्येय होना चहिये, वह इस विवेकहीन संस्था-सम्प्रदाय में खो गया है। हम यहां तक भूल गये हैं कि कोई नागरिक इस रूप में भी हो सकता है। हमारी ऐसी अप्रिय और हेय आदत हो गई है कि हम सदा साम्प्रदायिक रूप में सोचते हैं, नागरिक के रूप में नहीं (करतल ध्वनि) किन्तु आखिर नागरिकों से ही सम्प्रदाय बनता है और इस रूप में व्यक्ति ही सारे यन्त्र का भीतरी भाग है और वही सारी प्रवृति और उन्नति का साधन और उपाय है। पक्के शासक और राजनीतिज्ञ का लक्ष्य यही होना चाहिये कि उसके द्वारा व्यक्तिगत नागरिक को प्रसन्नता और सुख प्राप्त हो। इसलिये हमें यह याद रखना चाहिये कि नागरिक ही मुख्य चीज है। समाज के स्तूप का ऊर्ध्वभाग यह नागरिक ही है और वही उसकी बुनियाद भी है अत: उसका महत्त्व, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी पवित्रता सदैव स्मरण रखना चाहिये। मौलिक अधिकारों का महत्त्व समझ सकेंगे, क्योंकि इन अधिकारों को ठीक तौर पर समझ लेने पर ही मनुष्य की उन्नति निर्भर करती है। चार स्वतंत्रताओं वाला अटलांटिक चार्टर, पेइन (Paine) और वेल्स के समय के मानवीय अधिकारों के चार्टर से गत वर्ष तक की इस घोषणा में मानव जाति के सुन्दर विकास का इतिहास सन्निहित है। आखिर हमें तो याद रखना है कि संसार की सभी मानवी प्रयत्नों का ध्येय और उद्देश्य एक ही है और वह है एक जगत-राज्य (World State) की स्थापना जिसमें सभी नागरिक व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे, कानून की दृष्टि में समान होंगे और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समुन्नति के लिये पूर्ण सुअवसर प्राप्त होगा। हम देखते हैं कि हमारे ही देश में हमें दलित जातियों की ओर विशेष ध्यान देना है, परिगणित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों का खास

ख्याल रखना है, हमें अपनी चूकों के लिये प्रायश्चित करना है। 'गलतियों' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। हमें उनको सामान्य स्तर पर लाने के लिये सभी शक्य प्रयत्न करने होंगे और यह हमारे और उनके दोनों के भले की बात है कि जो त्रुटि रह गयी है उसकी पूर्ति कर दी जाये। लड़ी की मजबूती की परीक्षा उसकी कमजोर से कमजोर कड़ी से की जाती है, इसलिये जब तक प्रत्येक कड़ी पूर्णत: पुनर्शक्ति नहीं प्राप्त कर लेती हमें स्वस्थ राजनैतिक समुदाय जन नहीं मिल सकते। मुझे आशा है कि यह सलाहकार-समिति (एडवाइजरी कमेटी) यह आदर्श अपने सामने रखेगी जिसके लिये मानवता ने काम किए हैं यह ऐसी शक्ति और ऐसे अधिकार गढ़ने का प्रयत्न करेगी जिससे यह असेम्बली न केवल एक विधान तैयार कर सकेगी बल्कि भारत की स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेगी। हम यहां केवल नियम निष्ठतापूर्ण काम करने नहीं आये हैं वरन् ऐसे सच्चे कार्य के लिये हैं जिसकी पूर्ति हमें करनी ही है। हमें आशा करनी चाहिए कि यह एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) एकता और बन्धुत्व लायेगी, शुभकांक्षा और सद्विश्वास उत्पन्न करेगी और वर्तमान राजनैतिक स्थिति में जो पारस्परिक संघर्ष प्रवेश कर गया है उसे दूर कर देगी तथा इस कमेटी की कार्यवाहियों के फलस्वरूप हम भारत की स्वतंत्रता का मैदान तैयार कर लेंगे जिसके लिये हम जीवित हैं, जिसके लिये कितने ही मर चुके हैं और जिसके लिये यह जीवन कायम रखने योग्य है। (*घोर करतल ध्वनि*)

***अध्यक्ष:** सरदार हरनामसिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करने जा रहे हैं।

***सरदार हरनाम सिंह** (पंजाब : सिख): श्री अध्यक्षजी, 16 मई के वक्तव्य के अनुसार जो (सलाहकार-समिति) एडवाइजरी कमेटी बनानी है वह अनेक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण कमेटी है। हम सभी मानते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक समस्या ही उन्नति में वर्षों से बाधा डालती रही है और इसका सन्तोषजनक हल हो जाने पर देश समृद्धिशाली हो जायेगा। हमने लक्ष्य-मूलक प्रस्ताव में रखा है कि भारत के भावी विधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा की यथोचित व्यवस्था रखनी होगी। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, सन् 1922 ई. से ही जब भारत के लिये विधान-परिषद् की मांग की गई थी, कितने ही प्रस्ताव पास किये गये हैं जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ऐसे विधान बनाने हैं जिनसे उन अल्पसंख्यकों को सन्तोष हो। इसलिए मैं प्रसन्न हूं कि इस सभा में स्थित कांग्रेस-दल ने इस संस्था का विधान विधान-परिषद् के सभी सदस्यों को सौंप दिया है। इस एडवाइजरी कमेटी द्वारा प्रस्तावित साम्प्रदायिक समस्या का आखिरी हल क्या होगा, यह कोई अभी नहीं कह सकता पर यह तो सभी मानते हैं कि सारी साम्प्रदायिक रूपरेखा इस माइनोरिटी कमेटी (अल्पसंख्यक समिति) के सामने है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांश जो इस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले हैं उसका वर्तमान तथ्यों से कुछ सम्बन्ध है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शासन व्यवस्था सम्बन्धी और राजनैतिक वातावरण वाले हैं। इसके बाद भारत के सम्प्रदायों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ विधानों पर जोर डाला है कि वे ज्यों-के-त्यों रखे जायें जिससे उन्हें समुचित संरक्षण प्राप्त हो। एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार करेगी या नहीं यह बात मैं अभी नहीं कह सकता। यह विधान हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि एंग्लो-इंडियनों को भारत सरकार की 242 धारा मिली हुई है। कुछ और सम्प्रदायों ने उसे अपने लिए प्राप्त विशेष अधिकारों (Weightage) पर जोर

[सरदार हरनाम सिंह]

दिया। कुछ ने पृथक् चुनाव जारी रखने की जिद दिखाई है। इन कुछ विधानों से गये वर्षों में कुछ खराबियां हुई होंगी, पर मुझे विश्वास है कि यह एडवाइजरी कमेटी अल्पसंख्यकों की रक्षा के सवाल पर सभी दृष्टियों से विचार करेगी और देश के व्यापक हित के लिए जो उपयोगी होगा और जो अल्पसंख्यकों के स्वार्थों के अनुकूल होगा वह इस एडवाइजरी कमेटी को रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा।

श्रीमान् जी, इस एडवाजरी कमेटी और इसके कार्य को ठीक तौर पर समझने के लिए हमें उस लम्बे पत्र-व्यवहार को देख जाना पड़ेगा जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मि. जिन्ना और लार्ड पेथिक लारेंस के बीच हुआ है। मौलाना आजाद ने जो पत्र लार्ड पैथिक लारेंस को लिखे हैं उनमें से एक पत्र में इस बात पर हठ किया गया है कि साम्प्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए सभी सम्बद्ध दलों की स्वीकृति आवश्यक है, और वास्तव में 12 मई सन् 1946 ई. को जब कांग्रेस ने समझौते के लिए जो आठ शर्तें आधारभूत रूप से में निश्चित की थी उनमें छठी शर्त यह थी कि जहां तक अल्पसंख्यक सम्प्रदायों का सम्बन्ध है कांग्रेस सम्बद्ध सम्प्रदायों से सलाह लेना आवश्यक समझती है जिससे समस्या का हल ठीक तौर से हो सके। इसलिए मुझे आशा है कि जब एडवाइजरी कमेटी अल्पसंख्यकों की रक्षा और मौलिक अधिकार के प्रस्ताव तैयार करने के लिए बैठती है तो इसमें सारी बातें इस तरह से आ जानी चाहिए कि वे बड़े और छोटी सभी हितों के अनुकूल हों जिससे छोटे-बड़े सभी सम्प्रदाय इस कमेटी की सिफारिशों पर संतोष प्रकट करें। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं पं. गोविन्द बल्लभ पन्त के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** मैं देखता हूं कि आदेश-पत्र (Order papers) में कई संशोधनों की सूची दी गई है। मेरे ख्याल में सुविधा इस बात में होगी कि प्रत्येक वाक्यांश के साथ उसका संशोधन पेश हो। ऐसी दशा में वे सदस्य जो किसी वाक्यांश पर संशोधन पेश करना चाहें वे तब पेश करें जब मैं उस वाक्यांश का नाम लूं।

पहले खण्ड 1 (क) आता है, जिसके संशोधन की सूचना श्री मुन्शी ने दी है।

श्री डम्बरसिंह गुरंग (बंगाल : जनरल): श्रीमान् जी, किसी संशोधन के पेश करने के पूर्व एक सूचना सम्बन्धी आपत्ति है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि संशोधनों की सूचना देने के लिए कोई समय नियत किया है या नहीं? यह प्रस्ताव तो सदस्यों में अभी बांटा गया है। सदस्यों को कुछ समय तो मिलना चाहिए।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव कई दिन पहले बांटा गया था।

***श्री डम्बरसिंह गुरंगः** पर यह तो सदस्यों को अभी-अभी बांटा गया है। यह कई दिन पहले दल की सभा में भी बांटा गया होगा।

अध्यक्षः नहीं, नहीं, पंडित पन्त ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह कई दिनों पहले बांटा गया था।

श्री डम्बरसिंह गुरंगः मेरा कहना यह है कि इस समय यहां मुस्लिम लीग नहीं है। यह दल की सभा में बांटा गया था।

***अध्यक्षः** नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको गलतफहमी हो गई है। मैं उस

प्रस्ताव की बात कर रहा हूं जिसे पंडित पन्त ने पेश किया है, इस प्रस्ताव की सूचना सदस्यों को कई दिन पहले दी गई थी। कोई और भी संशोधन अभी तक पेश नहीं किया गया है।

श्री डम्बरसिंह गुरंग: पर यह प्रस्ताव तो सदस्यों को अभी दिया गया है।

अध्यक्ष: यहां हाउस में? मुझे भय है कि आप किसी और प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। यह तो कई दिनों पहले बांटा गया था। श्री मुंशी, आइये!

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के पैरा (वाक्य समूह) 1 के सब पैरा (उप-वाक्य समूह) (क) में 48 की संख्या 72 कर दी जाये जैसा कि पं. गोविन्द बल्लभ पंत पहले ही बता चुके हैं। प्रस्ताव के दूसरे भाग में जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुसार संख्या बढ़ानी आवश्यक है। इसलिए मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष: क्या खंड 1 में और भी संशोधन है? और कोई नहीं। मैं श्री मुंशी के संशोधन पर मत (वोट) लेता हूं।

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं देखता हूं रेवरेंड निकोल्स राय ने संशोधन की सूचना दी है।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय** (आसाम : जनरल): मैं संशोधन नहीं उपस्थित करूंगा।

***अध्यक्ष:** तो फिर हम (ख) (अ) को लेते हैं। श्री संतानम ने संशोधन की सूचना दी है।

***श्री के. सन्तानम्:** मैं उपस्थित नहीं करना चाहता।

***अध्यक्ष:** फिर श्री मुंशी।

***श्री के.एम. मुंशी:** अध्यक्ष महोदय, मैं खंड (ख) (अ) में जो संशोधन करना चाहता हूं, वह इस प्रकार है:

यह कि पैरा (वाक्य-समूह) 1 के सब-पैरा (उप-वाक्य) समूह (ख) (अ) में जहां 52 सदस्य शब्द आरम्भ होता है:

'52 सदस्य, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एक परिवर्तनशील मत द्वारा चुने जायेंगे'

उपरोक्त शब्दों के स्थान में ''निम्नलिखित सदस्य'' कर दिया जाये।

नाम संशोधन में दिए गये हैं। वाक्य का रूप इस प्रकार हो जायेगा।

''इसमें आरम्भ में नीचे लिखे सदस्य होंगे:

और इसके बाद नामों की सूची होगी। मैं नाम पढ़ दूंगा। सभा के सामने प्रस्तावक ने विभिन्न श्रेणी के सदस्यों का जिक्र पहले ही किया है और मैं उनके नाम श्रेणी-विभाजन की दृष्टि से ही पढ़ूंगा।

श्री जयरामदास दौलतराम	सिन्ध से।
श्री माननीय मेहरचन्द खन्ना	उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त से।
डॉ. गोपीचंद भार्गव	पंजाब से।

[श्री के.एम. मुन्शी]

श्री बख्शी सर टेकचन्द	पंजाब से।
डॉ. प्रफुल्लचन्द्र घोष	बंगाल से।
श्री सुरेन्द्रमोहन घोष	बंगाल से।
डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी	बंगाल से।

फिर तालिकाबद्ध जातियों के प्रतिनिधियों की सूची आती है:

सरदार पृथ्वीसिंह आजाद।
श्री धर्मप्रकाश।
श्री एच.जे. खांडेकर।
श्री माननीय जगजीवन राम।
श्री पी.आर. ठाकुर।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।
श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई।

अगले छः सदस्यों का दल सिखों का है:

सरदार जोगेन्द्र सिंह।
माननीय सरदार बलदेव सिंह।
सरदार प्रताप सिंह।
सरदार हरनाम सिंह
सरदार उज्ज्वल सिंह।
सरदार कर्त्तार सिंह।

अगले चार नाम हिन्दुस्तानी ईसाइयों के हैं:

डॉ. एच.सी. मुकर्जी।
डॉ. आलबन डीसूजा
श्री सालवे।
श्री रोचे विक्टोरिया।

अगले तीन नाम एग्लो इंडियनों के हैं:

श्री एस.एस. प्रेटर।
श्री फ्रैंक रेजीनाल्ड एन्थॉनी।
श्री एम.बी.एच. कॉलिन्स।

अगले तीन नाम पारसियों के हैं:

सर होमी मोदी।
श्री एम.आर. मसानी।
श्री आर.के. सिधवा।

नम्बर 31, श्री रूपनाथ ब्रह्म आसाम की समतल भूमि की कबाइली जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नम्बर 32, खान अब्दुल गफ्फार खां पश्चिमोत्तर के कबीले वालों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र के दो और सदस्य अध्यक्ष नामजद करेंगे।

खान अब्दुस समदखां बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय।

नम्बर 35 में नाम गलत हिज्जों से लिखा हुआ है। यह श्री मायंग नोकचा होना चाहिए।

मुझे मालूम नहीं इस नाम का उच्चारण कैसे किया जाता है। यह पश्चिमोत्तर के कबीलों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके बाद तीन नाम और हैं जो पृथक् आंशिक पृथक् और क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं।

श्री फूलभान शाह।

श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त।

श्री जयपालसिंह जो बिहार के पृथक् क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीन और सदस्य अध्यक्ष नामजद करेंगे।

इसके पश्चात् बारह साधारण नाम आते हैं।

आचार्य जे.बी. कृपलानी।

माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद।

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल।

माननीय श्री राजगोपालाचार्य।

राजकुमारी अमृतकौर।

श्रीमती हंसा मेहता।

माननीय पं. गोविंद बल्लभ पंत।

माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन।

सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर।

श्री के.टी. शाह।

श्री के.एम. मुन्शी।

मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

***आचार्य जे.बी. कृपलानी** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं इसका समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** क्या कोई और संशोधन नहीं है? श्री मुन्शी आपके नाम पर एक और संशोधन है।

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान् जी, वह इस समय उपयुक्त नहीं है।

***अध्यक्षः** और भी कई हैं क्या आप उन्हें भी पेश न करेंगे?

***श्री के.एम. मुंशीः** नहीं, श्रीमान् जी।

***अध्यक्षः** एक और संशोधन है जिसकी सूचना रेवरेण्ड निकोल्स राय ने दे रखी है।

***माननीय रेवरेण्ड जे.जे.एम. निकोल्स रायः** महाशय, मैं एक दो नाम और बढ़ाना चाहता था पर अब देखता हूं कि उससे सभा में पास की गई संख्या में बाधा उपस्थित होगी, इसलिए मैं अब अपना संशोधन न पेश करूंगा।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव और संशोधन पेश किये जा चुके हैं, इस पर बहस होनी है।

***रायबहादुर श्यामानन्द सहाय** (बिहार : जनरल): महाशय, मैं संशोधन के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। हमने जो नियम स्वीकार किये हैं नियम (46) (2) में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि:

''ऐसी सभी कमेटियों (समितियों) के सदस्य जब तक कि वह प्रस्ताव जिसके द्वारा कमेटी का निर्माण होता है इसके विपरीत व्यवस्था न दे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एक परिवर्तनीय वोट (मत) द्वारा चुने जायें।''

मेरा निवेदन है कि विधान बहुत ही हितकारक है जो इस सभा के सभी विभागों को सन्तोष प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इस प्रकार के विधान व्यवस्थित हाउस में मेरा ख्याल है कि प्रतिनिधित्व चुनने की यह समुचित प्रणाली काम में लायी जायेगी। मैं देखता हूं कि श्री मुन्शी के संशोधन में निश्चित नाम भी दिए हुये हैं और यदि और नाम प्रस्तावित हुए तो इन नामों पर भी मत लिए जाये, मेरा प्रश्न है कि चुनाव का ढंग क्या होगा? यह विषय विशेष महत्त्व का है और मैं इसकी ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करता हूं, क्योंकि यह भविष्य के लिए एक ऐसा उदाहरण है कि और अधिक नाजुक मामलों का फैसला करने में यह सहायक सिद्ध नहीं होगा ऐसी दशा में मैं आपसे तथा श्री मुन्शी से अपील करता हूं कि मूल प्रस्ताव को स्वीकार हो जाने दें। और फिर नामों का प्रस्ताव रखकर उस पर उसी जाब्ते अर्थात् आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एक परिवर्तनीय मतदान प्रणाली के ढंग पर मत ले लें। यह बड़े महत्त्व का विषय है और मैं न केवल आपका व्यक्तिगत ध्यान इधर आकर्षित करूंगा प्रत्युत इस सारी सभा और उसके अंगों का ध्यान इस ओर खीचूंगा। यह कार्यवाही निश्चित विधि से भिन्न है और अच्छी भी नहीं है। इस पर इस सभा को अमल नहीं करना चाहिये।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महाशय, अब चूंकि पं. गोविंद-बल्लभ पंत जी के प्रस्ताव में नामों की सूची सम्मिलित हो चुकी है अतः मुझे कुछ शब्द आदिवासियों के दृष्टिकोण से कहना है। मैं पंत जी के फुसलाने वाले इशारे पर अपनी कड़ी अप्रसन्नता प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा है कि कबाइली क्षेत्र और अल्पसंख्यक विदेशियों का मुंह ताकते हैं।

***माननीय पं. गोविंद बल्लभ पंतः** मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, कृपया ऐसी बातें मुझसे न कहलवाइये जो मैंने कभी नहीं कहीं।

***श्री जयपाल सिंहः** हम अपने देशवासियों का मुंह ताकते हैं। हम अपने नेताओं की ओर देखते हैं कि वह हमारे साथ समुचित व्यवहार करें। हम विदेश नहीं गये हैं और न बातचीत चलाने लंदन गये हैं हम अपने अधिकारों की व्यवस्था के लिये मंत्रिमंडल मिशन के पास नहीं गये। हम केवल अपने देशवासियों की ओर देखते हैं कि वह हमसे समुचित और न्यायमुक्त व्यवहार करें। गत छः हजार वर्षों से हमारे साथ भद्दा व्यवहार किया जा रहा है।

***श्री किरणशंकर रायः** कितने वर्षों से?

***श्री जयपाल सिंह:** छह हजार वर्ष से, श्री किरणशंकर राय, उस समय से आप गैर-आदिवासी इस देश में आये हैं।

महाशय, प्रस्तावक तथा समर्थक ने यह प्रकट किया है कि इस (एडवाइजरी कमेटी) सलाहकार-समिति में तैयारी व विभाजन किस प्रकार किया गया है। आदिवासियों के लिए यह जीवन और मरण का सवाल है। मैं कांग्रेस के नेताओं को बधाई देता हूं और उन अल्पसंख्यकों को भी जो अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक जगहें पा गये हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। सिक्खों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और पारसियों को उनके लिए प्राप्य से अधिक जगहें दी गई हैं मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता, पर यह सच है कि उन्हें उनके प्राप्य से अधिक जगहें दी गई हैं, जबकि हमारे लोगों की जो इस देश के असली और प्राचीन निवासी हैं स्थिति भिन्न ही है। फिर भी मैं असंतोष नहीं प्रकट करता। मेरे उद्देश्य के लिये तो केवल पंडित जी को रखना काफी है, पर वे सदस्य नहीं है। मैं इस देश के सभी आदिवासियों और कबीले वालों का हित पं. जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दूंगा, और फिर मुझे उपस्थित रहने की जरूरत भी नहीं है। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम संख्या पर नहीं निर्भर करते। उस मत (वोट) की संख्या पर नहीं निर्भर करते जो यहां एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) में दिये जायेंगे। हम तो मौन रहते आये हैं। मैं कोई शिष्टमण्डल (डेपुटेशन) लेकर सरदार पटेल या अध्यक्ष जी, आपके पास नहीं गया, कि हमारे यह अधिकार, यह दावे और यह प्राप्त हैं मैं इसे इस हाउस और एडवाइजरी कमेटी की सद्बुद्धि पर छोड़ता हूं, कि वह छ: हजार वर्ष के कष्टों को अब दूर कर देंगे। दूसरी जगह जब एक बार मैंने कहा था कि हमारे भारतीय राष्ट्र के एक खास दल को विशेष सुविधा प्रतिनिधि (Weightage) मिल गई है तो उस दल ने नाराजगी जाहिर की थी। मैं आप से कहता हूं कि मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि सिक्खों को एडवाइजरी कमेटी में या और कहीं 60 जगहें मिलती हैं तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। मैं कांग्रेस को इस कथन पर धन्यवाद देता हूं कि अल्पसंख्यकों के प्रश्न को आवश्यकता से अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता जैसा कि पं. गोविंद बल्लभ पन्त ने कहा है। पर जहां तक आदिवासियों और कबीले वालों का सम्बन्ध है क्या उसे आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया है? क्या यह ईमानदारी से कहा जा सकता है कि आप ने किसी भी रूप में उनकी स्थिति को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है? मैं और जगहें प्राप्त करने के लिए वकालत नहीं कर रहा हूं मैंने कोई संशोधन भी नहीं भेजा है और न कोई संशोध न पेश ही कर रहा हूं, पर मैं इस सभा और देश का ध्यान यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो अपनी इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां हमारी परीक्षा हो रही है, अब तक हम बड़ी आसानी से कह दिया करते थे कि ब्रिटेन ने, केवल ब्रिटेन ने ही तुम्हें आंशिक पृथक् क्षेत्र और पृथक् क्षेत्र में रख कर चिड़ियाघर में डाल रखा है। क्या आप कोई पृथक् व्यवहार कर रहे हैं? मैं यह सवाल करता हूं, मैं एडवाइजरी कमेटी से पूछता हूं कि मेरा नाम उसमें है, पर मेरा नाम है, इसलिए मैं कहता हूं कि उसमें किसी, आदिवासी या कबीले वाली स्त्री का भी नाम नहीं है, उसे क्यों छोड़ दिया गया? एडवाइजरी कमेटी में कोई आदिवासी या फिरके वाली स्त्री का नाम नहीं है। जो लोग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार थे उन्हें यह बात सूझी ही नहीं। मैं नहीं कहता कि स्त्री का

[श्री जयपाल सिंह]

नाम चुना जाये पर यह महत्त्व की बात है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार मैं यह भी कहता हूं कि तेरह या जितनी भी संख्या निश्चित की गई है, वह मुझे स्वीकार है। मैं और कुछ नहीं कहता, पर मैं उस अज्ञान को प्रकट कर देना चाहता हूं जो इस संख्या के सुझाव से प्रकट है या आदिवासी या कबीले वाले क्षेत्रों के सदस्यों की नामजदगी से प्रकट है। सारे देश के कबीले वालों का आदिवासियों का स्वभाव देखिये, मुझे उस गड़बड़ी से कोई झगड़ा नहीं है जो हर दसवें वर्ष मनुष्य-गणना के समय जनसंख्या की गिनती करते समय की जाती है, उसके अनुसार सबसे बाद की प्राप्त आदिवासियों और कबीले वालों की संख्या 254 लाख है। मैं इसे मंजूर करता हूं, इसमें हम देखते हैं कि आदिवासियों में सबसे अधिक संख्या मुन्डा बोलने वालों की है। अगर आप उनकी 1941 ई. की संख्या जोड़कर देखें तो वह 43 लाख पहुंचेगी। उसके बाद गौंडों की संख्या आती है। हमें एक गौंड प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व दिया गया है। मुझे इसकी खुशी है। इसके बाद भीलों का नम्बर आता है, जो 23 लाख हैं। इस कमेटी में कोई भील नहीं है। इस प्रकार औरांव 11 लाख हैं इस कमेटी में एक भी औरांव नहीं है। अध्यक्ष जी अभी समय कीमती है। पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहीं अन्यत्र कहा है कि जितने दिन जाते हैं प्रतिदिन 10000 रुपया खर्च होता है, मैं समझता हूं कि ढाई करोड़ आदिवासियों और कबीले वालों की जिन्दगी 10000 रुपया प्रति दिन से ज्यादा कीमती है। यह एक ऐसा अवसर है जब आप आज्ञा दें तो मुझे अपनी बात कहनी ही चाहिए, मैं देखता हूं कि किसी न किसी कारण से मौलिक अधिकार समिति, (फंडामैंटल राइट्स कमेटी) में कोई भी आदिवासी या कबीले वाले सदस्य नहीं हैं।

***माननीय पं. गोविंद बल्लभ पन्तः** कोई अलग कमेटी नहीं है। केवल एक कमेटी है।

***श्री जयपाल सिंहः** अपने भाषण में आपने विचार प्रकट किया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विचार करने वाली कमेटी में कुछ सदस्य रखे जा रहे हैं।

माननीय पं. गोविंद बल्लभ पन्तः नहीं, वह तो एडवाइजरी कमेटी पर निर्भर करता है, वह जैसी भी सब कमेटियां चाहें बना सकती हैं।

***श्री जयपाल सिंहः** बहुत अच्छा, मैं मानता हूं जैसा कि मैं कहता हूं सभी आदिवासी या कबीले वाले दलों के सदस्य सम्मिलित करने का उपाय नहीं है। 1941 ई. में जो मनुष्य गणना की गई थी उसके अनुसार 177 आदिवासी जातियां या कबीले वाले थे। यह प्रकट है कि 177 सदस्यों का लिया जाना असम्भव है, पर जितनी भी संख्या निर्धारित की है, मुझे स्वीकार है। अध्यक्ष महाशय, पर मैं अपने लोगों के प्रति कर्त्तव्यबद्ध हूं कि मैं इस हाउस को बताऊं कि यह आदिवासी या कबीले वाले प्रश्न पर विचार जैसा कि पं. जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र सर्वोच्च प्रजातंत्रीय प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, गहनता और भावुकता के साथ करना होगा। सभा की परीक्षा हो रही है, हमें देखना है कि क्या होता है?

***माननीय पं. गोविंद बल्लभ पन्तः** सब ठीक ही होगा।

***अध्यक्षः** आदेश पत्र में संशोधन उपस्थित करने के बारे में कुछ गलतफहमी

हो गई थी? मैं इस ख्याल में था कि और संशोधन नहीं हैं। अब मैं देखता हूं कि अभी कई और संशोधन बाकी हैं। अब बाकी संशोधन पेश होने चाहिये।

***श्री के.एम. मुन्शी:** (क) में या (ख) में?

***अध्यक्ष:** पूरे प्रस्ताव में जितने भी संशोधन हैं।

***श्री के.एम. मुंशी:** मेरे नाम में जो और संशोधन हैं वह इस प्रकार है—

''पैरा (वाक्य समूह) एक का सब पैरा (ख) (अ) (उपवाक्य समूह) हटा दिया जाये।'' और जब पैराग्राफ इस प्रकार है (''असेम्बली उस ढंग से जिस तरह अध्यक्ष उचित समझें सात सदस्य तक चुन सकती है'')

जैसा कि हाउस देखेगा बाद में अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की संख्या 7 बढ़ा दी गई है। जिसका मतलब यह है कि संख्या 9 से बढ़कर 12 तक पहुंच गई है। इसलिए अब मैं वह संशोधन भी पेश करूंगा जो मेरे नाम पर है और जो प्रस्ताव के पहले पैरा के सब पैरा (उपवाक्य समूह) (ग) से सम्बद्ध है।

प्रस्ताव के पहले पैरा (वाक्य समूह) के सब (उपवाक्य समूह) (ख) में संख्या 22 के स्थान में संख्या 9 रख दी जाये और शब्द ''जिनमें 7 मुसलमान होंगे जो मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रांत, बिहार, मध्यप्रांत, उड़ीसा और आसाम के प्रतिनिधि होंगे'' बढ़ा दिये जायें। उद्देश्य यह है कि हिन्दू बहुमत वाले प्रांतों से अल्पसंख्यकों के सदस्य इस कमेटी के लिए निर्वाचित होंगे। यही मूल विचार था, पर चूंकि यह प्रारम्भिक बैठक इस समय स्थगित होने जा रही है, अगर मुस्लिम लीग इसमें आ गई तो फिर केवल सात सदस्य चुनने के लिए आरम्भिक सभा बुलाना मुश्किल होगा। इसीलिए मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं। यदि आरंभिक सभा अप्रैल या अन्य किसी तारीख के लिए स्थगित हो जाती है और मुस्लिम लीग इस बीच आ जाती है, तो सात हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों से सात मुस्लिम सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जा सकते हैं और इस कमेटी में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वे सभी इस हाउस द्वारा स्वीकार कर लिए जायें, इसलिए मैं सभी संशोधनों को एक साथ पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** क्या कोई और भी संशोधन है? पैरा 2 (कोई नहीं) पैराग्राफ 3! (कोई नहीं)

मैं समझता हूं कि सर एन. गोपाल स्वामी आयंगर को कोई संशोधन पेश करना है।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्री अध्यक्ष जी, जाब्ते के 48वें नियम के अनुसार जिस प्रस्ताव द्वारा किसी कमेटी का निर्माण होगा, वही यह भी व्यक्त करेगा कि कितने सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) कमेटी के कार्य संचालन के लिए अनिवार्य होगी। जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनमें ऐसा नहीं किया गया है। यह आज्ञामूलक व्यवस्था है और इस चूक की पूर्ति के लिए मैं आपसे नियम 26 के अनुसार स्वीकृति मांगता हूं कि मुझे यह नया संशोधन पेश करने की स्वीकृति दी जाये जिसकी सूचना मैंने पहले से नहीं दे रखी है। संशोधन इस प्रकार है–

"प्रस्ताव के पैरा (वाक्य समूह) 3 के बाद नीचे लिखा वाक्य पैरा 3 (क) के समय कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई रखा जायेगा।''

[माननीय सर एन. गोपाल स्वामी आयंगर]

***श्री के.एम. मुंशी:** मुझे पैराग्राफ 4 में संशोधन पेश करना है। पैराग्राफ 4 इस प्रकार है—

> ''एडवाइजरी कमेटी संयुक्त वैधानिक असेम्बली को तीन मास के अन्दर अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश करेगी और बीच में वह समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकती है।''

इसमें मेरे संशोधन द्वारा इस परिवर्तन की मांग की गयी है—

पैराग्राफ 4 में 'तीन मास' और 'और' के बीच में ये शब्द रख दिये जायें 'प्रस्ताव की तारीख से'। और फिर 'समय' शब्द के पश्चात् पूर्ण विराम के स्थान में अर्धविराम रखा जाये और आगे निम्न शब्द बढ़ा दिये जायें, पर मौलिक अधिकारों पर एक अस्थायी रिपोर्ट इस तारीख से छः सप्ताह के अन्दर और अल्पसंख्यकों पर एक अस्थायी रिपोर्ट इस तारीख से दस सप्ताह के अन्दर भेजेगी।

कमेटी और उसकी कमेटियां (उपसमितियां) के सदस्यों का कोरम इस रूप में बढ़ा दिया जाये।

श्रीमान्, जी वाक्यांश 4 संशोधन के बाद इस प्रकार हो जायेगा।

एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) यूनियन कांस्टीट्यूएंट असेम्बली (संयुक्त वैधानिक असेम्बली) को इस प्रस्ताव की तारीख से तीन मास के अन्दर अन्तिम रिपोर्ट भेजेगी और वह इस तारीख से छः सप्ताह के अन्दर मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर दस सप्ताह के अन्दर ऐसी अस्थायी रिपोर्ट देगी।

श्रीमान्, जी मेरा अगला संशोधन पैरा 5 में है। यह इस प्रकार है (प्रस्ताव) के पांचवें पैरा में ''उसी ढंग से'' शब्दों से लेकर पैरा के अन्त तक के शब्दों के स्थान में ''अध्यक्ष की नामजदगी द्वारा'' शब्द रख दिये जायें।)

पांचवे पैराग्राफ का मूल रूप इस प्रकार है:

> एडवाइजरी कमेटी में जो जगहें इत्तफाकिया खाली होंगी उनकी पूर्ति जहां तक शीघ्र सम्भव होगा, उसी ढंग से की जायेगी जिस ढंग से मूल रूप में की गयी थी।

इस संशोधन का उद्देश्य है आकस्मिक बात हो जाने की अवस्था में उसके लिए व्यवस्था रखना जब असेम्बली की यह आरम्भिक बैठक स्थगित होगी, तो कमेटी काम करेगी। अगर बीच में कोई जगह खाली हुई तो उसे विधान-परिषद् की अगली बैठक तक भरना असम्भव हो जायेगा। इसीलिये यह अधिकार अध्यक्ष को दिया जाना चाहिये जिससे जगह खाली होते ही वह उस पर सदस्य की नियुक्ति कर सकें। श्रीमान् जी, यही संशोधन मुझे पेश करने हैं।

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी** (बंगाल : जनरल): श्री अध्यक्ष जी, मैं इस बहस में पड़ने की इच्छा नहीं रखता, पर दुर्भाग्यवश पहले वक्ता ने यह कहा है कि एंग्लो इंडियनों को भी अधिक प्रतिनिधित्व मिल गया है, जिससे मुझे खड़ा होना पड़ा है। यद्यपि मैं साम्प्रदायिक नेता हूं, फिर भी मैंने साम्प्रदायिकता के खरगोश को खदेड़ने में सदा अनिच्छा ही प्रकट की है और भद्दे साम्प्रदायिक श्वान-युद्ध

में पड़ने की तो और भी अनिच्छा रखता हूं। पर मैं समझता हूं कि सभा के कुछ सदस्यों को स्टेट पेपर के बारे में और उसके निर्माता के वास्तविक उद्देश्य के बारे में गलतफहमी हो गई है। महाशय, अगर यह अनुभव किया जाये कि अल्पसंख्यकों के लिए एडवाइजरी कमेटी की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। पर जब तक आप ने अल्पसंख्यकों के लिए कमेटी बना रखी है, और जब अल्पसंख्यक जातियां अपने अधिकारों के लिए हठ कर रही है फिर चाहे वह सच्चे हों या तथाकथित, तब तो अन्य अल्पसंख्यक जातियों खास कर अपेक्षाकृत छोटी, अपनी रक्षा के लिए प्रतिनिधित्व मांगती ही रहेंगी। मैं श्री जयपालसिंह के कथन से सहमत हूं कि अधिकांश अल्पसंख्यक अपने हित-रक्षा पं. नेहरू जैसे नेता के साथ में सौंपने को तैयाार है। मैं पहला आदमी होऊंगा और कह दूंगा कि यह ''अपनी रक्षा उनके हाथों में सौंप दो''। पर दुर्भाग्यवश इन मामलों का फैसला ऐसे ऊंचे दर्जे पर नहीं हो रहा है। इस देश में सभी उस उच्चता के व्यक्ति नहीं है। दुर्भाग्यवश आज कल साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति पहले से अधिक दृढ़ और दावेदार बन गई है और मैं चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता की यह अभिवृद्धि कुछ कम हो जाये।

श्रीमान् जी, हम विशेष राजाज्ञा पत्र (State Paper) पर विचार कर रहे हैं। हम मंत्रिमण्डल मिशन के वक्तव्य के 20वें पैरा पर विचार कर रहे हैं। पैरा 20 का विशेष विवरण सर स्टेफर्ड क्रिप्स की सरकारी व्यवस्था में प्रकट है। सर स्टेफर्ड या मंत्रिमण्डल मिशन हमारे संस्था सम्बन्धी अनुपात से कोई वास्ता नहीं रखते। यह संस्था का अनुपात इसी देश की प्रिय पुकार है। सर स्टेफर्ड ने विशेष रूप में कहा था कि एडवाइजरी कमेटी की स्थापना इसलिए हुई है कि अल्पसंख्यक का नहीं, छोटे अल्पसंख्यक (Small Minorities) को एक अवसर मिले कि वह अल्पसंख्यकों सम्बन्धी विधान पर प्रभाव डाल सकें। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मंत्रिमण्डल का यह इरादा है कि हिन्दुस्तानी ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और आदिवासी और कबीले वाले क्षेत्रों के निवासियों को खास प्रतिनिधित्व दिया जाये, और यद्यपि हमने मेल और बन्धुत्व के वातावरण के लिए यह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया है पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जगहों के बांटने में शायद मंत्रिमण्डल के इरादे को ध्यान में नहीं रखा गया। खास कर मेरे सम्प्रदाय के बारे में तो यही बात है। यदि सभा को यह धोखा हुआ हो कि मेरे सम्प्रदाय को अधिक जगहें मिली हैं तो मैं उसके इस भ्रम का निवारण कर देना चाहता हूं। मंत्रिमण्डल मिशन का यह स्पष्ट इरादा था कि छोटे अल्पसंख्यकों अर्थात्, हिन्दुस्तानी ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और कबीले वाले या आदिवासियों को इस एडवाइजरी कमेटी द्वारा अपने निर्णय का प्रभाव डालने का अवसर मिलना चाहिए। और किसी छोटी अल्पसंख्यक जाति का जिक्र नहीं किया गया। यह सवाल कि अन्य अल्पसंख्यकों को बढ़ा कर उसके इरादे की पूर्ति की गयी या नहीं, मैं अभी इस पर जोर नहीं देता। पर मंत्रिमण्डल मिशन के दिमाग में उस समय अवश्य ही कोई ऐसी बात थी जब उन्होंने यह व्यवस्था बनाई थी। उनके सामने विभिन्न अल्पसंख्यकों के मामले थे। उन्होंने यह बात समझ ली कि अमुक अल्पसंख्यक यद्यपि संख्या में कम हैं पर उनके हितों की रक्षा का सवाल बड़ा है और उन्हें सामान्य राजनीतिक ढांचे में उनके हितों की रक्षा करनी है और उनका मुख्य ध्येय इस एडवाइजरी कमेटी की स्थापना करने में यह था कि अल्पसंख्यकों,

[श्री एफ.आर. एन्थॉनी]

खासकर इन तीनों अल्पसंख्यकों को ऐसा अवसर मिले कि वह अपने फैसले को प्रभावित कर सकें।

श्री डम्बरसिंह गुरंगः श्रीमान् जी, श्रीयुत मुन्शी ने एडवाइजरी कमेटी की जो सूची पेश की है उसमें मैं किसी गोरखा का नाम नहीं देख रहा हूं मैं 16 मई के मंत्रिमण्डल मिशन के 20वें वाक्यांश का हवाला नहीं देना चाहता पर मैं हाउस का ध्यान उस ओर अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं जो कुछ ही दिन पहले सभा के उद्देश्य के प्रस्तावों को पेश करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रस्ताव के पैराग्राफ 6 में कहा गया है—

> ''जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुओं तथा आदिवासी एवं कबीले वालों तथा दलितों को पर्याप्त सुविधाएं दी जायेंगी।''

एडवाइजरी कमेटी का काम विधान-परिषद् को वह सलाह देना है जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुओं और कबीले वालों तथा आदिवासियों की हित-रक्षा का विधान बन जाये। यह मानी हुई बात है कि इस कमेटी में इन सभी श्रेणियों के प्रतिनिधि होने चाहिये। अब अगर एडवाइजरी कमेटी में गोरखा नहीं है तो उनकी ओर से कौन बोलेगा और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा कौन करेगा? इसमें सन्देह नहीं कि गोरखा एक विशिष्ट अल्पसंख्यक दल है और कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वह भारत की बहुत पिछड़ी हुई जाति है। गोरखाओं को अगर इस रूप में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है तो उन्हें इस रूप में प्राप्त करने का अधिकार है कि वह पृथक् क्षेत्रों और आंशिक पृथक् क्षेत्रों के निवासी हैं क्योंकि दार्जिलिंग जिले में तीन लाख से अधिक गोरखे रहते हैं, वह एक आंशिक पृथक् क्षेत्र (partially excluded area) है। इसके अतिरिक्त कबीले वालों में भी उनकी गिनती हो सकती है क्योंकि बंगाल की सन् 1941 ई. की मर्दमशुमारी में गोरखों को कबीले वालों में गिना गया है। अगर गोरखों को ऐसी कमेटी में भी जगह न मिली जहां दलित और पिछड़े हुए लोगों की हित रक्षा का सवाल है तो मैं एक गोरखा के रूप में विधान-परिषद् का सदस्य होने में लाभ नहीं देखता। अभी उस दिन राष्ट्रपति कृपलानी ने मुझसे कहा था कि गोरखा तो अपनी तलवार से लड़ेंगे। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। गोरखों ने भारत के शासकों के लिए लड़ाई लड़ी है, पर अब गोरखों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का फैसला किया है पर साथ ही मैं हाउस से अपील कर देना चाहता हूं कि उनके मामले पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि शिक्षा और अर्थ की दृष्टि से भी वह बहुत पिछड़े हुए हैं और चूंकि एडवाइजरी कमेटी ही एक ऐसी कमेटी है जहां यह सब बातें पेश की जा सकती हैं और उन पर बहस की जा सकती है। मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि वह इन बातों पर विचार करे।

***श्री के.एम. मुंशीः** महाशय, क्या मैं प्रस्तावकर्ता के रूप में इसका जवाब दे सकता हूं?

***अध्यक्षः** (श्री के सन्तानम् से) क्या आप बोलना चाहते हैं?

***श्री के. सन्तानम्ः** श्रीमान् जी, मैं इस प्रस्ताव पर दो बातें कहना चाहता हूं। मुझे भय है कि एडवाइजरी कमेटी को अपना स्वरूप बहुत व्यापक और अनुचित

हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए। इसको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिये कि सारी असेम्बली या उसके अंगों के कार्यक्षेत्र में अनुचित प्रवेश कर ले। उदाहरण के लिये अगर यह ऐसे मामलों में जाती है कि संयुक्त निर्वाचन बनाम पृथक् निर्वाचन पर विचार करने लगे या प्रतिनिधित्व का परिमाण निश्चय करने में अपनी शक्ति खपा दे तो कमेटी का काम बहुत कठिन हो जायेगा। मैं इस विषय को विस्तृत नहीं करना चाहता। और मैं कमेटी के कार्य को कठिन नहीं बनाना चाहता, केवल मैं उनके विचार पर छोड़ता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमें रिपोर्ट के बारे में किस प्रकार काम करना है। साधारणत: रिपोर्ट सभा के सामने पेश की जाती है पर अगर हम इस असेम्बली के बैठने तक रिपोर्ट पेश करने की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमें इसके विचार के लिये 10/15 दिन ठहरना पड़ेगा। इसका मतलब होगा हाउस के समय का दुरुपयोग। इसलिए मेरी राय है कि कमेटी से प्राप्त करते ही आप रिपोर्ट बांटने की आशा हाउस से ले लें, जिससे हम जब फिर मिलें तो हम सब तैयार होकर आयें और हाउस का समय व्यर्थ न जाये। अन्यथा शिकायत के लिए वैध आधार मिल जायेगा। क्योंकि एक दो या तीन दिन की सूचना काफी नहीं है। हमें कम से कम एक पखवारे पहले सूचना मिलनी चाहिए। अगर आप हाउस के पास रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद पन्द्रह दिन और रुकते हैं तो कितना खर्च, कितनी परेशानी और कठिनाई होगी, आप जानते ही हैं। इसलिए मैं यह दो सुझाव आप के विचार के लिए पेश करता हूं।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय:** मुझे इसमें वैधानिक आपत्ति हैं। श्री मुंशी ने जो संशोधन रखा है वह कोई ऐसा ढंग नहीं बताता जिससे इस कमेटी के बाद के चुनाव किये जा सकें, क्योंकि मूल आदेश कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एक परिवर्तनीय वोट द्वारा होगा, श्री मुंशी के संशोधन से गिर गया। इस कारण यदि सुझाव के लिये आये हुए श्री मुंशी के नामों के अतिरिक्त एक-दो और नाम आ जाते हैं तो चुनाव का ढंग क्या होगा? श्री मुंशी का संशोधन तो जाब्ते के नियमों के अन्तर्गत कार्य को उलट देगा। मुझे आशा है आप ऐसा न होने देंगे। मैं इसीलिए आपका यह निर्णय जानना चाहता हूं कि संशोधनयुक्त प्रस्ताव में सुझाये गये नामों के अतिरिक्त एक दो नाम और आ गये तो चुनाव किस ढंग से होगा?

***श्री के.एम. मुंशी:** वैधानिक आपत्ति के बारे में मुझे यह कहना है कि नियम 46 यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हाउस चुनाव का ढंग बदल सकता है। नियम इस प्रकार है:

> ''जब तक कि कमेटी का निर्माण करने वाला विधान इसके विपरीत व्यवस्था न देता हो, ऐसी सब कमेटियों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एक परिवर्तनीय मत द्वारा चुने जायेंगे।''

इसलिये महाशय, यह देखा जा सकता है कि इसमें वैधानिक आपत्ति की कोई बात है ही नहीं।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय:** मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि नियम 46 (2) में जिस जाब्ते की रूपरेखा बतायी गयी है, उसकी पूर्ति हो जाती यदि

[रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय]

श्री सन्तानम् अपना वह संशोधन पेश कर देते जिससे मूल प्रस्ताव के शब्दों को बदल कर वे ''साधारण वितरणीय मत द्वारा'' शब्द रखना चाहते थे। चूंकि श्री सन्तानम् ने अपना वह संशोधन पेश नहीं किया, इसलिये कोई जाब्ता नहीं रखा गया। इसलिए नियम 46 (2) लागू नहीं होता।

***अध्यक्ष:** मेरे ख्याल में नियम 46 का वाक्यांश इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि मुंशी ने जो संशोधन पेश किया है वह विधि विहित है।

***श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष जी, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात डालना चाहती हूं कि मुस्लिम प्रांतों में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये सात सदस्यों का विधान है। मैं देखती हूं कि हिन्दुओं में किसी भी हरिजन का नाम सम्मिलित नहीं है। हम हरिजन अपने को हिन्दू जाति का ही अंग समझते हैं और हमें मुस्लिम प्रान्तों में हिन्दू प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार है। हमें बंगाल, सिन्ध या पंजाब में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। किसी ने अभी कहा है कि सूची में तो हरिजनों के सात सदस्य पहले ही से है। पर इसका तो यह मतलब नहीं हुआ कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में हम हरिजन हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इसलिये मैं केवल हाउस के ध्यान में यह बात लाना चाहती थी कि वह इस ख्याल में न रहे कि यहां हरिजन केवल भारत के हरिजनों का ही प्रतिनिधित्व करने आये हैं। हम दावा करते हैं कि हम हिन्दुओं के अंग हैं। सवर्ण हिन्दुओं का यह कर्त्तव्य है कि उन्होंने जो वायदे किये हैं उनके अनुसार एक हरिजन को हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त में भेजें। पर किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मैं सूची में अपना नाम लिखाने आई हूं मुझे ऐसी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उन प्रान्तों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहती, पर ऐसे हरिजन हैं जो मुस्लिम बहुमत प्रधानप्रांतों से आए हैं और जो अपने प्रान्तों में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने का प्रत्येक अधिकार रखते हैं। इसलिए मैं आशा करती हूं कि हाउस इस बात का विचार करे कि मेरी राय उन मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है जो आगे आने वाले हैं।

***श्री लक्ष्मी नारायण साहु** (उड़ीसा : जनरल): महाशय, मैं हाउस को यह सूचित करने के लिए उठा हूं कि श्री मुंशी के सुझाव में उड़ीसा की उपेक्षा की गयी है। हमें सदा का अनुभव है कि चूंकि हम सीधे सादे लोग हैं इसलिए हमारी उपेक्षा की जाती है। अब तो उड़ीसा का दावा इतना बड़ा है कि मेरी समझ में हाउस उसके नाम सम्मिलित करने से इन्कार न करेगा। पहली बात तो यह है कि उड़ीसा का दो-तिहाई भाग आंशिक पृथक् (partially excluded) और पृथक् (excluded) क्षेत्र है और फिर भी यद्यपि श्री मुंशी द्वारा रखी गई सूची में 13 नाम ऐसे क्षेत्रों में रखे गए हैं, पर उड़ीसा का कोई नाम नहीं है। इसके अतिरिक्त हाउस के विचार के लिए और भी एक बात है। श्री मुंशी की सूची के अनुसार उड़ीसा में कोई हिन्दू नहीं है, और फिर भी प्रतिनिधित्व एक मुसलमान को दिया जायेगा। सचमुच अनुचित है। वहां का बहुमत बिना प्रतिनिधित्व का है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि हाउस इस बात की ओर विशेष ध्यान देगा। मुझे माननीय पं. गोविंदबल्लभ पंत के प्रस्ताव पर बोलना चाहिए। पर चूंकि आपने यह कहा है कि श्री मुंशी का प्रस्ताव विधिविहित है और मैं उसका विरोध भी नहीं करता हूं फिर भी रायबहादुर श्यामानन्दन सहायजी की तरह मैं यह अनुभ्व करता हूं कि इस महत्त्वपूर्ण मामले में हमें एक परिवर्तनीय

मत की प्रणाली काम में लानी चाहिए। इससे यह सवाल सबके लिए सन्तोषजनक रूप में हल हो जायेगा।

***श्री जयरामदास दौलतराम** (सिन्ध : जनरल): मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि इस कमेटी के महत्त्व को देखते हुए और जिस प्रकार के नाजुक मामले में इसका उपयोग करना है उसका ख्याल रखते हुए यहां ऐसी बहस नहीं होनी चाहिये जिससे इसका कार्यक्षेत्र सीमित हो जाये। इस कमेटी में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी के प्रतिनिधि हैं और देश के सभी भागों से आये हैं और मेरे ख्याल में उन्हें 16 मई के वक्तव्य में और अन्यत्र जो कुछ कहा गया है, बहस करने और फैसले पर पहुंचने का मौका मिलना चाहिये कि अल्पसंख्यकों की रक्षा वाले खंड कहां तक पर्याप्त व्यवस्था देते हैं। चूंकि यह मामला ऐसा है कि उस पर लम्बी बहस से और अधिक वाद-विवाद बढ़ेगा इसलिये मैं अधिक कुछ न कहूंगा और आशा करूंगा कि एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) इस बात पर अल्पसंख्यक और सर्वसामान्य दोनों ही दृष्टियों से विचार करेगी और सारे देश की राष्ट्रीय भावनाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों की मांगों की पूर्ति करने का प्रयत्न करेगी।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष जी, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इन 50 सदस्यों में कुछ सम्प्रदायों को विशेष रूप में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है। यदि यह सभी सम्प्रदायों के लिए समान है, इसमें सात हिन्दू, सात मुसलमान, सात परिगणित जातियां हैं, तो मैं यह नहीं समझता कि किस आधार पर इन संस्थाओं का निर्णय किया गया है। उदाहरण के लिए यदि आप कहें कि सात ऐसे प्रांत हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्या में है और वहां के हिन्दुओं की रक्षा करनी है और फिर चूंकि सात हिन्दू प्रांत ऐसे हैं जहां हिंदुओं का बहुमत है इसलिए सात मुसलमानों को अपने हितों की रक्षा के लिए कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तो यह बात अच्छी है। पर हरिजनों का क्या होगा? वह प्राय: सभी प्रान्तों में अल्पसंख्यक हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप इन प्रान्तों की जनसंख्या देखें तो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों के सभी हिन्दू हरिजनों के बराबर नहीं हैं और यही बात हिन्दू प्रमुख प्रान्तों में भी है। और अब पारसी नई अल्पसंख्यक जाति के रूप में लाये गये हैं। अब तक यह जाति अपने को अल्पसंख्यकों में नहीं लिखाती थी। सहसा इस अल्पसंख्यक एडवाइजरी कमेटी में इस जाति को अल्पसंख्यक जाति के रूप से श्रेणीबद्ध कर दिया गया है। मैं नहीं समझता महोदय, कि यह पारसी जाति किस प्रकार की सुरक्षा चाहती है। वह समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त कर चुकी है तथा आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी स्थिति में ऊंची है। फिर वह कौन से खास संरक्षण हैं जो इस पारसी जाति को अपेक्षित हैं। यही बात एंग्लो इंडियनों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। उनकी संख्या बहुत कम है, पर उन्हें प्रतिनिधित्व बहुत दे दिया गया है। इससे तो दलित वर्ग को 7 के बदले 11 जगहें दे देनी चाहिए थीं। अब अगर कुछ न किया जा सके तो मैं सभी चुने गये सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे खास सम्प्रदाय के हित के लिए वहां लड़ने का विचार छोड़ दें। वे एकता का भाव अपनायें और ऐसा करें जिससे सभी सम्प्रदायों को लाभ पहुंचे, सभी में एकता और समृद्धि का प्रसाद हो। इस उद्देश्य से उन्हें यह देखना चाहिए कि खासतौर पर ऐसी जातियां जिन्हें अपनी संख्या के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है, उनकी हितरक्षा

[श्री एस. नागप्पा]

अवश्य हो। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इस विधान-निर्माण के उद्देश्यों का प्रस्ताव पास किया है। हमें उसके अभिप्राय के अनुसार चलते हुए यह देखना चाहिए कि सभी जातियों को समुचित स्थान प्राप्त हो, यद्यपि उदाहरण के लिए 50 में केवल 7 ही हरिजन यहां हैं। यह वर्तमान सदस्यों की संख्या का लगभग सातवां भाग है। वह अपने हित के लिए लड़ सकते हैं। फिर भी वह अल्पसंख्यक ही हैं। सम्भव है उनकी आवाज सुनी न जाये। इसलिए मैं उन सभी सदस्यों से जो चुने गये हैं प्रार्थना करता हूं कि वह बहुसंख्यक होते हुए भी हरिजनों को ठीक तौर पर समझें और यदि उनकी मांग उचित है तो उसे पूरी करें। सारी नहीं तो उनकी कम से कम मांग तो अवश्य पूरी करें। इस विश्वास के साथ मैं निर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी जातियों के साथ जो युगों से कष्ट उठा रही हैं, पूरा न्याय हो और उन्हें वह सब कुछ दिया जाये जिसके वे अधिकारी हैं।

***माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकोल्स रायः** महाशय इस सूची में 50 सदस्य हैं। मैं इसमें दो नाम और बढ़ाना चाहता था, पर श्री मुंशी से बातचीत करने के बाद मैंने इस संख्या में फेरफार न करने का निश्चय किया। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आसाम में अल्पसंख्यक अनेक है। वहां के कबायली क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। प्रत्येक क्षेत्र का रहन-सहन और संस्कृति अलग-अलग है। ऐसी कमेटी में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पर मैं पैराग्राफ 2 में देखता हूं कि एडवाइजरी कमेटी जो सब कमेटियां नियुक्त करेगी कुछ और सदस्य चुन (Coopt) सकेंगी। इससे सम्भवतः हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं उसे पढ़ सुनाता हूं:

> ''एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) ऐसी सब कमेटियां (उपसमितियां) नियुक्त करेगी जो पश्चिमोत्तर पूर्वोत्तर की फिरकेवाली जातियों के क्षेत्रों एवं आंशिक पृथक् क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के लिए योजनाएं तैयार करेंगी। इस तरह की सभी सब कमेटियां अभी अपने खास फिरके वाले क्षेत्र से दो सदस्य से अधिक नहीं चुन (coopt) सकती। यह सदस्य उन्हें उस क्षेत्र के काम में सहायता पहुंचायेंगे।''

इसमें सन्देह नहीं कि इससे आदिवासी और फिर्केवाले क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा जिससे वे एडवाइजरी कमेटी पर अपनी इच्छायें प्रकट कर सकेंगे। इस दृष्टि से सभा के सम्मुख पेश किया गया। प्रस्ताव बिल्कुल सन्तोषजनक है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बहुत पसन्द करता यदि कोई और हिन्दुस्तानी ईसाई इस सूची में जोड़ा गया होता। मैं देखता हूं कि उड़ीसा को बिल्कुल ही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

***एक माननीय सदस्यः** आन्ध्र के बारे में आप क्या कहते हैं?

***माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकोल्स रायः** मैं चाहता हूं कि उड़ीसा से एक ईसाई को प्रतिनिधित्व मिले। अध्यक्ष महोदय, वहां के ईसाई समाज के प्रतिनिधित्व के बारे में विचार कर सकते हैं चार हिन्दुस्तानी ईसाई सदस्यों को इस सूची में स्थान मिला हुआ है। मैं केवल एक की वृद्धि चाहता हूं। इस अनुरोध के साथ में विश्वास करता

हूं कि प्रस्ताव सभा को मान्य है और पूर्णत: संतोषजनक है। जिन कुछ अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन्हें अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से और सब कमेटियों द्वारा चुने (Coopt) जाने से प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): महाशय, आज सुबह यहां का जो वातावरण है और तीन-चार दिन से नई दिल्ली का जो वातावरण हो रहा है। वह मुझे 1930-31 के वातावरण की याद दिलाता है। अपने भूतकालीन अनुभवों के आधार पर मैं यह सोचता हूं कि अल्पसंख्यकों को पहले से ज्यादा स्थान मिले हुए हैं। इस तरह की शिकायतें तो सदा ही रहेंगी। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अल्पसंख्यक केवल न्याय, समानता और सद्व्यवहार ही नहीं चाहते बल्कि तीसरे दल के दबाव से संरक्षण और अधिक स्थान की मांग करते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या द्वारा हमारी मुख्य समस्या को—भारत की स्वतंत्रता को—ढक नहीं दिया जाना चाहिए।

पूर्व वक्ताओं ने एक बात पर विशेष जोर दिया था कि बहुसंख्यक हिन्दू प्रान्तों को एडवाइजरी कमेटी में अपने बहुसंख्यक सम्प्रदाय के लिए प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं उनके साथ हूं और मैं उड़ीसा के बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय के लिये ऐसे प्रतिनिधित्व की मांग करता हूं। उड़ीसा को इस बहस में अवश्य सम्मिलित किया जाये जिससे वह उस अनुचित बोझ का हिसाब लगा सके जो उसे अपनी अल्पसंख्यक जातियों के कारण उठाना पड़ेगा।

बहुत सम्भव है कि आगे चलकर एडवाइजरी कमेटी में अड़चन उपस्थित हो जाये। मैं उससे फैसले का अनुमान नहीं करता और न मैं उस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य ही हूं। पर अल्पसंख्यक अखिल भारतीय आधार पर अधिकाधिक संरक्षण, आर्थिक सुविधायें, प्रतिनिधित्व तथा ज्यादा जगहें मांगते जायेंगे। अखिल भारतीय आधार पर मांगें तथा उन पर फैसले गरीब उड़ीसा प्रान्त के लिए बड़े संकटप्रद सिद्ध हो सकते हैं। अगर अल्पसंख्यकों पर सिर्फ की जाने वाली कोई कम से कम रकम मुकर्रर कर दी गई। फिर भी कुछ कम से कम रकम तो परिगणित जातियों और आदिवासियों एवं फिरकेवालों पर खर्च करना ही होगा। जिन दिनों बिहार उड़ीसा से अलग नहीं हुआ था उन दिनों का बिहार का कम से कम खर्च उड़ीसा का आज अधिक से अधिक खर्च बन गया है। उड़ीसा की प्रति व्यक्ति की वार्षिक आमदनी लगभग ढाई रुपये है जबकि अन्य प्रान्तों की 20 रुपये है। मैं यह कह कर कोई वकालत नहीं कर रहा हूं कि एडवाइजरी कमेटी में उड़ीसा का एक हिन्दू प्रतिनिधि भी रखा जाना चाहिये।

मैं कल्पना करता हूं कि स्वतन्त्र भारत में अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers) प्रान्तों को मिलेंगे। क्या मेरे यहां के साथी यह बात समझ रहे हैं कि संरक्षण और अधिक प्रतिनिधित्व की पुकार से छोटे प्रान्तों की कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। और गरीब प्रान्तों पर कितनी भीषण कठिनाइयां—शासन सम्बन्धी और आर्थिक लागू हो जायेंगी। इससे शासन भंग हो जाने की आशंका हो सकती है।

एडवाइजरी कमेटी इतनी विस्तृत जरूर होनी चाहिए जिससे वह हिन्दू बहुमत के प्रान्तों को हिन्दू प्रतिनिधियों को ले सके। ताकि वह उन प्रांतों की आय-व्यय और अर्थ सम्बन्धी व्यवस्था को समझ सके। हमें एडवाइजरी कमेटी के ऐसे लोगों के किसी भी निर्णय का प्रबल विरोध करना होगा जो उड़ीसा की माली, आर्थिक अवस्था

[श्री बी. दास]

को समझते तक नहीं। हम कोई भी संरक्षण, आर्थिक अथवा अन्य स्वीकार नहीं करेंगे और न अनुचित बोझ या कठिनाई ही सहन कर सकेंगे।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा:** मेरा प्रस्ताव है कि अब बहस बन्द की जाये।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूं महाशय?

***अध्यक्ष:** बहस बन्द करने का प्रस्ताव (Closure) रखा जा चुका है। प्रस्ताव है कि बहस बन्द करने की कार्यवाही अमल में लाई जाये।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** पन्त जी, यह प्रस्ताव आपका था। क्या आप संशोधन स्वीकार करते हैं?

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त:** महोदय, मैं श्री मुंशी द्वारा पेश किये गये संशोधनों को स्वीकार करता हूं। कुल मिलाकर मेरे प्रस्ताव का आशातीत स्वागत हुआ। यह एक नाजुक सवाल है, खासकर जब व्यक्तियों की नामजदगी का प्रश्न सामने आ जाता है। ऐसी समस्याओं के अनेक ऐसे परेशानी भरे रूप हमारे सामने आ जाते हैं जिन पर आसानी से काबू नहीं किया जा सकता और जिन्हें बिल्कुल अवैयक्तिक रूप में सुलझाया नहीं जा सकता। इसलिये यदि श्री जयपालसिंह की अपेक्षा भी अधिक प्रबल विरोध और कटु आलोचना करने वाले वक्ता होते तो मुझे आश्चर्य न होता। मैंने देखा कि वह अनर्गल भाषण कर रहे हैं, और मुझे ऐसा जान पड़ा कि उनके भाषण की उग्रता उनके भावहीनता का पूरक थी। मैंने आदिवासियों या फिरकेवालों के विरुद्ध कोई सुझाव भी नहीं किया था। मेरा विश्वास है कि इन आदिवासियों और फिरकेवालों की ओर हमने उतना ध्यान नहीं दिया और न अपने हाथों उनकी उतनी क्रियात्मक सेवा ही कर सके जिसके कि वे अधिकारी थे। मैं समझता हूं कि हमारा उनके प्रति एक कर्त्तव्य है और हमें उनको आगे बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। मेरे और उनके (श्री जयपालसिंह) के बीच यह मामला नहीं है। जब मैंने यह सुझाव रखा था कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों का मुंह ताकना बुद्धिमानी नहीं है, तो मेरा लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल अथवा वर्ग की ओर नहीं था।

मैं इस प्रश्न पर बतौर चेतावनी के चन्द शब्द कहना चाहता हूं जो बड़े महत्त्व के हैं और जो प्राय: बड़े उद्वेगजनक होते हैं। केवल उसी के कारण मैंने हाल के वर्षों की पोलैंड, बलगेरिया, चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया और पूर्वीय यूरोप के अन्य राजों की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया था क्योंकि ऐसे समय जब हम विधान बनाने जा रहे हैं इन अनुभवों को ध्यान में रखना जरूरी है। यह सुझाया गया था कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार होना चाहिये था। वस्तुत: इसी सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुआ था। जैसा कि मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण के शुरू में कहा था यह सदस्य अपने सम्प्रदायों या दलों और साथियों द्वारा चुने गये हैं, हम इस सारी असेम्बली की स्वीकृति की मुहर इसलिये चाहते थे कि एडवाइजरी कमेटी बड़ी ही महान समस्याओं पर विचार करेगी और हम कमेटी के प्रत्येक सदस्य में ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देना चाहते थे जो इस सभा की स्वीकृति द्वारा कमेटी के सदस्यों में अवश्य ही पैदा हो सकता है। इस प्रकार

इस कमेटी के लिए ठोस नैतिक नींव निर्मित करने के लिए यह उपाय किया गया था, पर जैसा कि पहले कह चुका हूं कमेटी के सदस्यों के चुनाव सर्वसम्मत थे। इस सभा के भी सब सदस्य केवल कुछ अनुपस्थितों को छोड़कर इन नामों से सहमत थे और यह नाम पूरी सभा (General Body) के सामने रखने के पहले, हर दल के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए थे, मैं नहीं समझता कि इससे अधिक सन्तोषजनक ढंग काम में लाया जा सकता था। यह तो एडवाइजरी कमेटी की कार्यवाही के लिए शुभ चिह्न हैं कि इसके सदस्य न केवल अपने दलों द्वारा बल्कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य और सभी सदस्यों द्वारा चुने गए हैं। इससे उन्हें वह स्थिति प्राप्त हो गई है जो उनके लिए श्रद्धा और कद्रदानी का कारण बनेगी। महोदय, कुछ प्रांतों के कई नाम छूट जाने का जिक्र किया गया हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि और भी कई सदस्य इस कमेटी में जोड़े जा सकते थे। यहां हम बौद्धिक और जनहित भावना का यथेष्ट प्रतिनिधित्व देख रहे हैं, और जिन-जिन को कमेटी में लिया जा सकता था उनसे कमेटी का हित ही हो सकता था, पर इस प्रकार के मामलों में क्रियात्मक सीमाएं हुआ करती हैं और आपको यह देखना होगा कि कहीं बहुत से अच्छे लोगों के आधिक्य से ही ढांचा न टूट जाये। गुण और श्रेष्ठता की भी मर्यादा होती है, वह ऐसी नहीं होनी चाहिये कि मनुष्य की क्रियाशीलता ही नष्ट हो जाये, वह ऐसी होनी चाहिये जिससे दोष सहन किये जा सकें। नहीं तो यदि आप स्वर्ग-निर्माण करने या प्लेटों का प्रजातन्त्र लाने के इच्छुक हैं तो आप कभी क्रियात्मक रूप में कुछ नहीं कर पायेंगे। इसलिये स्थिति की कठोर यथार्थता के कारण बाध्य हो हमें वह संख्या 70 के लगभग रखनी पड़ी है और गम्भीर कार्यवाही के लिए तो यह संख्या भी अधिक है। हमने यहां संख्या कम कर दी है। इसका कारण यह नहीं है कि जो कुछ कहा गया है हम उसकी कद्र नहीं करते या हम इस सभा के माननीय सदस्यों की सहायता नहीं चाहते; बल्कि इसका कारण यह है कि कमेटी इससे अधिक बोझ सहन न कर सकेगी। इसके कारण किसी भी क्षेत्र में कोई अविश्वास या सन्देह नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसी कमेटियों में साधारणत: मतगणना द्वारा फैसले नहीं किये जाया करते। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथी का दृष्टिकोण समझता है। हर व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने साथियों के विचारों को समझेंगे, यही आदान-प्रदान की भावना होनी चाहिये। इस प्रकार की कमेटी का निश्चय बहुमत के वोट द्वारा नहीं, सर्वसम्मत रूप में होना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर विवाद कर सकते है कि जो सदस्य संख्यायें निश्चित की गई हैं वह प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या के अनुपातानुसार पूर्ण नहीं हैं। ऐसे मामलों में लाखों करोड़ों जनता और उसके स्वार्थ के बारे में हम गज की माप काम में नहीं ला सकते और दो परिगणित जाति वालों के घटा देने या एक एंग्लो इंडियन के घटा देने से क्या कोई खास फर्क पड़ता है? मैं ऐसा नहीं समझता। डॉ. अम्बेडकर या श्री एन्थोनी जैसे योग्य एक ही सदस्य उतना कर सकते है जितने आधे दर्जन या इससे भी अधिक मिल कर नहीं कर सकते। संख्या की अपेक्षा चरित्रबल का अधिक महत्त्व है जिससे सदस्यों को प्रेरणा मिलती है। इस तरह के मामलों में इन बातों का ख्याल रखना चाहिये। मुझे आशा है कि जब यह कमेटी काम शुरू करेगी तो अफसोस करने का कोई मौका न होगा और सब मिलकर इस कमेटी को उस समय बधाई देंगे जब यह अपना कार्य समाप्त करेगी।

***अध्यक्षः** पंडित पंत जी, आपने सर एन. गोपाल स्वामी आयंगर के संशोधन पर कुछ नहीं कहा।

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्तः** मैं वह संशोधन स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और उसके बाद संशोधन उपस्थित किये जाकर प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं इसलिए अब संशोधित प्रस्ताव पढ़ा जायेगा, जो इस प्रकार है—

''यह असेम्बली निश्चय करती है कि मन्त्रि-मण्डल-मिशन के 16 मई सन् 1946 के पैराग्राफ 20 के अनुसार एक एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) निम्नलिखित ढंग से निर्मित की जाये।''

1. (क) एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) में 72 सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे और इसमें वह सदस्य भी लिए जा सकते हैं जो इस असेम्बली के सदस्य नहीं हैं।

(ख) आरम्भ में इसमें नीचे लिखे सदस्य होंगे—

1. श्री जयराम दास दौलतराम।
2. माननीय श्री मेहरचन्द खन्ना।
3. डॉ. गोचीचन्द भार्गव।
4. बख्शी सर टेकचन्द।
5. डॉ. प्रफुल्लचन्द्र घोष।
6. श्री सुरेन्द्र मोहन घोष।
7. डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी।
8. श्री पृथ्वीसिंह आजाद।
9. श्री धर्म प्रकाश।
10. श्री एच.जे. खांडेकर।
11. माननीय श्री जगजीवन राम।
12. श्री पी.आर. ठाकुर।
13. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।
14. श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई।
15. सरदार जोगेन्द सिंह।
16. माननीय सरदार बलदेव सिंह।
17. सरदार प्रताप सिंह।
18. सरदार हरनाम सिंह।
19. सरदार उज्ज्वल सिंह।
20. ज्ञानी कर्त्तार सिंह।
21. डॉ. एच.सी. मुकर्जी।
22. डॉ. आल्बन डीसूजा।
23. श्री साल्वे।

24. श्री रोची विक्टोरिया।
25. श्री एस.एच. प्रेटर।
26. श्री फ्रैंक रेजिनान्ड एन्थॉनी।
27. श्री एम.बी.एच. कॉलिन्स
28. सर होमी मोदी।
29. श्री एम.आर. मसानी।
30. श्री आर.के. सिधवा।
31. श्री रूपनाथ ब्रह्म।
32. श्री खान अब्दुल गफ्फार खां।
33. खान अब्दुलसमद खां।
34. माननीय श्री रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय।
35. श्री मयंग मोकचा।
36. श्री फूलभान शाह।
37. श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त।
38. श्री जयपालसिंह।
39. आचार्य जे.बी. कृपलानी।
40. माननीय मौलाना अब्बुल कलाम आजाद।
41. माननीय सरदार जे. वल्लभभाई पटेल।
42. माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य।
43. राजकुमारी अमृतकौर।
44. श्रीमती हंसा मेहता।
45. माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त।
46. माननीय श्री गोपीनाथ बार्दोलोई।
47. माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन।
48. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
49. श्री के.टी. शाह।
50. श्री के.एम. मुंशी।

(ग) अध्यक्ष किसी भी समय या विभिन्न समयों पर कमेटी के 22 सदस्यों तक की नामजदगी कर सकते हैं, जिनमें 7 मुसलमान होंगे, जो मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा और आसाम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

2. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) सब-कमेटियों (उप-समितियों) की स्थापना करेगी, जो पश्चिमोत्तर के फिरकेवाले क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी आदिवासी और फिरके वाले क्षेत्रों और पृथक् एवं आंशिक पृथक् क्षेत्रों की शासन व्यवस्था की योजना बनायेगी। इस तरह की प्रत्येक कमेटी (उपसमिति) सदस्य तक उन क्षेत्रों से चुन

[अध्यक्ष]

(coopt) सकती है जिस पर उस समय वह उपसमिति विचार कर रही होगी और वह सदस्य सब-कमेटी को अपने क्षेत्रों के बारे में ज्ञातव्य बातों द्वारा सहायता करेंगे।

3. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार और भी सब-कमेटियां (उप-समितियां) नियुक्त कर सकती है।

3(क). कमेटी या उसकी किसी भी सब-कमेटी का कोरम सम्बन्धित कमेटी या सब-कमेटी की तात्कालिक सदस्य संख्या का एक तिहाई होगा।

4. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) इस प्रस्ताव की तारीख से तीन मास के अन्दर अंतिम रिपोर्ट संयुक्त विधान-परिषद् के पास भेजेगी और समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकती है। परन्तु बुनियादी अधिकारों पर वह अपनी अस्थायी रिपोर्ट प्रस्ताव पास होने की तारीख से छः सप्ताह के अन्दर भेजेगी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर वह अपनी अस्थायी रिपोर्ट प्रस्ताव पास होने की तारीख से दस हफ्ते के अन्दर भेजेगी।

5. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) में जो इत्तफाकिया जगहें खाली होंगी उन्हें जहां तक हो सकेगा खाली होने के बाद शीघ्र ही अध्यक्ष महोदय नामजदगी द्वारा भर देंगे।

6. अध्यक्ष कमेटी की कार्यवाही के ढंग के बारे में स्थायी आज्ञा दे सकते हैं।

अब में इस संशोधित प्रस्ताव पर मत लूंगा।

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** दोपहर बाद तीन बजे हम फिर मिलेंगे और उस समय हम कमेटी में आय-व्यय के लेखे (बजट) पर विचार करेंगे। इसलिए दर्शकगण दोपहर बाद की बैठक में पधारने का कष्ट न करें।

इसके बाद भोजन के लिए असेम्बली तीन बजे तक स्थगित हुई।

विधान-परिषद् भोजन के बाद तीन बजे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी (समिति) के रूप में फिर समवेत हुई।

आय-व्यय के आनुमानिक बजट पर बहस समाप्त हुई।

फिर तीन बजकर 55 मिनट पर विधान-परिषद् का पूर्ण अधिवेशन हुआ।

विधान-परिषद् का आनुमानिक आय-व्यय (बजट)

***अध्यक्षः** श्री गाडगिल इस प्रस्ताव को बाजाब्ता पेश करेंगे।

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): मैं यह प्रस्ताव बाजाब्ता पेश करता हूं। वास्तव में खुले अधिवेशन में यह पेश किया गया था और विधिवत पेश होने के बाद सभा प्रस्ताव द्वारा कमेटी में बदल गई।

***एक माननीय सदस्यः** मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्षः प्रस्ताव विधिवत पेश हो चुका है और उसका समर्थन भी हो चुका है। अब मैं इस पर मत लेता हूं। मैं एक बार प्रस्ताव फिर पढ़ दूंगा:

''निश्चय हुआ कि असेम्बली, असेम्बली के 1946-47 और 1947-48 का आनुमानिक खर्च के विवरण को, जैसा कि विधान-परिषद् के नियम 50 (1) के अनुसार स्टाफ और अर्थ-समिति (Financial Committee) ने तैयार की गई सम्बद्ध सूची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है।

''निश्चय हुआ कि असेम्बली विधान-परिषद् के नियम 51(1) के अनुसार असेम्बली के सदस्यों का उप-वेतन (allowance) नियत करती है कि स्टाफ और अर्थ कमेटी द्वारा स्वीकृत सम्बद्ध सूची में दिखाया गया है।

मुझे सारा विवरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदस्यों को उसकी जानकारी है। मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूं।.....

बजट पास होता है।

बजट मंजूर किया गया।

***अध्यक्षः** इससे हमारा आज का काम समाप्त हुआ।

***श्री देशबन्धु गुप्त** (दिल्ली): क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं श्रीमान्? क्या इस सम्बन्ध में कोई फैसला किया गया है कि विधान-परिषद् की नौकरी करने वालों पर सरकारी नौकरी के नियम लागू होंगे?

***अध्यक्षः** कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। हमारे सेवक सरकारी नौकर नहीं हैं।

***श्री देशबन्धु गुप्तः** इन पर सरकारी नौकरी के नियम लागू होंगे या नहीं?

***श्री अध्यक्षः** हम अपने नियम रख सकते हैं। हमारा सरकारी नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो सरकारी नौकरी से उधार के रूप में लिये गये हैं वे अपनी राजभक्ति और वफादारी अपने ढंग की रख सकते हैं।

कल हम खुली बैठक में फिर मिलेंगे। कुछ प्रस्ताव लिये जायेंगे।

कल ग्यारह बजे तक के लिए बैठक स्थगित होती है।

इसके बाद असेम्बली शनिवार, 25 जनवरी सन् 1947 ई. के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।